महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

M. J. P. ROHILKHAND UNIVERSITY
BAREILLY

Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Ordinance 2020

(Amended as per UGC regulation/notification dated May 5, 2016 and published in Gazette of India no. 278 dated July 5, 2016 and Gazette of India no. 325 dated August 27, 2018)

महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Acknowledgment

It gives me immense pleasure to present the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinance 2020 (Amended as per UGC regulation/ notification dated May 5, 2016, and published in Gazette of India no.278 dated July 5, 2016, and Gazette of India no.325 dated August 27, 2018) for all its stakeholders.

I pay sincere regards to Smt. Anandiben Patel, Chancellor, Hon'ble Governor of Uttar Pradesh, to give her kind consent and support us to tread the path of excellence in research in Higher Education.

This work is a result of the continuous efforts of the ordinance construction committee. I want to express my special gratitude to Prof. Sudhir Kumar, Director, Directorate of Research, Dr. Sanjeev Tyagi and Dr. Avinash Agarwal, Associate Directors, Directorate of Research, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University (MJPRU), to take the initiation and complete this herculean and meticulous task on time.

I also give my sincere wishes to the ordinance committee members, namely Prof. S.K. Pandey, Dean, Faculty of Engineering and Technology, MJPRU; Prof. Shobhna Singh, Department of Pharmacy, MJPRU; Prof. Vijay Bahadur Yadav, Department of Ancient History & Culture, MJPRU; Dr. Gaurav Rao, Associate Professor, Department of B.Ed./M.Ed. (IASE), MJPRU, Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor, Department of Law, MJPRU, for giving their inputs in drafting the vital aspects of the Ordinance minutely and putting their eagle eyeson the drafts of this Ordinance at every step.

I also acknowledge Dr. Rajeev Kumar, Registrar, MJPRU, Bareilly, and Mr. Kamlesh Shankwar, Finance Officer, MJPRU, for giving their administrative supports as and when required to the Director. I also appreciate the supporting staff Mr. Amit Kumar and Mr.Umesh Saxena of Directorate of Research, MJPRU, who left no stone unturned to type the Ordinance in the best possible way.

I hope the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinance 2020 will play as a blueprint for the research scholar in the times to come.

Best wishes !

(Prof. K.P. Singh)
Vice-Chancellor

स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई–3533,4171,3604,4528,4638 / 15–जी0एस0 / 2021–V

दिनांकः 01, सितम्बर, 2021

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली

विषयः पीएच0डी0 ऑर्डिनेन्स, 2020 के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रु0वि0 / कु0कैम्प / 2021 / 01, दिनांक 14 मई, 2021, पत्र संख्या–रु0वि0 / कु0का0 / 2021 / 82, दिनांक 13 जुलाई, 2021 तथा पत्र संख्या–रु0वि0 / कु0कैम्प / 2021 / 27, दिनांक 18 जुलाई, 2021, जो आप द्वारा प्रस्तावित पीएच0डी0 ऑर्डिनेन्स, 2020 के अनुमोदन के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2021 के अनुमोदन के अनुसार महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा प्रस्तावित पीएच0डी0 ऑर्डिनेन्स, 2020 के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–52 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन मा0 कुलाधिपति द्वारा प्रदान कर दिया गया है।

भवदीय,

01/09/21

(डॉ0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. गार्ड फाइल हेतु।

(डॉ0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।

M. J. P. ROHILKHAND UNIVERSITY
BAREILLY

महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Ordinance 2020

(Amended as per UGC regulation/notification dated May 5, 2016 and published in Gazette of India no. 278 dated July 5, 2016 and Gazette of India no. 325 dated August 27, 2018)

Contents

Acknowledgment

1. Introduction
2. Enumeration of Ph.D. Seats
3. Eligibility Criteria for Candidates seeking admission to Ph.D. programme and duration of the Pro-gramme
4. Procedure for Admission
5. Interview board
6. Final Selection
7. Course Work
8. Approval of Synopsis and Registration to Ph.D. Programme
9. Eligibility Criteria of Supervisor and Related Regulations
10. Residency period
11. Thesis Presentation
12. Evaluation and assessment methods
13. Depository with UGC
14. General

1. परिचय
2. पीएच.डी. स्थानों की गणना
3. पीएच.डी. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड एवं पाठयक्रम की अवधि
4. प्रवेश हेतु प्रक्रिया
5. साक्षात्कार मंडल
6. अन्तिम चयन
7. पाठ्यक्रम कार्य
8. शोध की रूपरेखा का अनुमोदन तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण
9. पर्यवेक्षक की पात्रता मानदंड तथा सम्बन्धित विनियमन
10. निवास की अवधि
11. शोध-प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण
12. मूल्यांकन एवं निर्धारण विधियाँ

M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Ordinance 2020
(Amended as per UGC regulation/notification dated May 5, 2016 and Published in Gazette of India no. 278 dated July 5, 2016 and Gazette of India no. 325 dated August 27, 2018)

1. Introduction

1.1 In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 52 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President Act No 10 of 1973), as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (re-enactment and amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974) and in supercession of the previous ordinance (Doctor of Philosophy Degree Ordinance-2017) on the subject, The M.J.P. Rohilkhand University hereby amends the Pre existing ordinance, in order to regulate the minimum standards and procedures for award of Ph.D. degree in consonance with the University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) regulations, 2016 and 2018

1.2 These ordinances may be called **"The Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree Ordinance, 2020."**

1.3 In order to regulate the minimum standards and procedures for award of Ph.D. degree in conformity with the University Grants Commission (minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2016 dated 05 May 2016, the following ordinance is amended after ordinance of 2017 to make provisions for Ph.D. admission in different faculties of the University. This ordinance shall come into effect from 2020 onwards in supersession of all the previous ordinances on the subject. They shall come into force from the session 2020-21

1.4 Those candidates who have been registered for Ph.D. before the promulgation of this ordinance would be governed by the earlier ordinance under which he/she has been admitted.

1.5 The M.J.P. Rohilkhand University would consider the admission for Ph.D. programmes in all the faculties which have been established as per statutes of the M.J.P. Rohilkhand University.

1.6 The process of admission for Ph.D. programme would be held in July every year as per notifications of the University. In the first phase admission process shall be executed in June for both i.e. all eligible students as well as JRF/CSIR/JEST/GPAT/GATE qualified students.

Where as the candidate who has qualified JRF/JEST/GPAT/GATE/NET and equivalent State/National/International test for Research fellowship, can apply any time round the year to Directorate of Research (DoR), and the same shall be decided bimonthly, However those who are awarded research fellowship without any State/National/International qualifying test, may also apply to the DoR for a written test and interview to be conducted bimonthly subject to availability of sufficient number of applications.

2. Enumeration of Ph.D. Seats

2.1 At any time, the total number of Ph.D. seats (including those for D.Sc., D.Litt. and LL.D.) shall not exceed 08 for a Professor, 06 for an Associate Professor and 04 for an Assistant Professor respectively.

2.2 Once the thesis is submitted by the student and subsequently the thesis submission certificate is issued by the University, Ph.D. seat of the supervisor shall be considered vacant.

2.3 Based on the above norms as described in clause 2.1 and 2.2 and number of Ph.D. Scholars already registered for Ph.D. with all supervisors in the Department, a pre determined and manageable number of feasible vacancies available for new Ph.D. candidates shall be counted on annual basis and communicated by the each Head of Department, in consultation with the all eligible faculty members of the Department, to the University through their respective Deans/ Directors along with broad area/sub disciplines available for these vacant positions.

2.4 The subject wise number of seats for Ph.D. shall be decided well in advance as far as possible and displayed on the University website. The University shall widely advertise the number of available seats for Ph.D. degree and conduct admission on regular basis as per norms described in clause 1.6 .These vacant positions shall be divided as per reservation policy of the state government for vertical and horizontal categories into unreserved, and reserved (OBC and SC/ST) categories and so classified for each guide/ supervisor.

2.5 The procedure for admission, evaluation and award concerning pursuit of Ph.D. degree in multi-department and inter disciplinary institutes shall be same as specified for regular departments.

2.6 There shall be no additional Ph.D. seats in multi- department and inter disciplinary institutes unless regular whole time teachers are appointed in the institutes themselves. For teachers otherwise associated with these institutes, the number of Ph.D. students has to be adjusted against the seats for associated teachers of these institutes in their parent departments with not more than three for Professor and two for Associate Professor and one for Assistant Professor respectively.

2.7 Admission to Ph.D. programme shall be allowed only in those subjects in which post graduate/ undergraduate courses are being offered in the University campus/aided colleges/ constituent colleges. In case of allied disciplines/interdisciplinary subjects, the interview board/ RDC of the respective department would be taking an appropriate decision which would be binding on the candidate. The decision of the RDC shall be based on the subject of qualifying examination which the candidate has cleared in order to attain the eligibility to appear for interview in respective subjects. The candidate has to appear in research entrance test (as per norms described in clause 1.6 pertaining to admission procedure) only in that subject in which the candidate is willing to take admission in the Ph.D. programme. Further, the Ph.D. degree would be awarded in that subject only in which the candidate has taken admission.

2.8 But the affiliated private colleges which have been evaluated by NAAC (National Assessment and Accreditation Council)/DSIR(Department of Scientific and Industrial Research) NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) or any other national/state ranking agency and have received excellent grade and are willing to participate in research admission process, such colleges would be allowed to participate in research admission process by applying on the prescribed application form provided by University and as per approved procedure where-

(i) The University will get their application forms evaluated by Directorate of Research.

(ii) The research directorate will refer all successful applications to the Vice Chancellor, where the vice chancellor will constitute a high level committee comprising of University teachers as well as subject experts for the physical verification of the basic infrastructure such as library, laboratory and other necessisities and usefulness.

(iii) Based on the report of physical verification committee and recommendation therein the necessary registration/approval shall be accorded to the concerned institution as research study centre following the established procedure.

(iv) While according approval as research study centre, priority shall be given to Post graduate colleges.

3. Eligibility Criteria for Candidates seeking admission to Ph.D. programme and duration of the Programme

3.1 Candidates for admission to the Ph.D. programme shall have a Master's degree or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent "B" grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational institution accrediated by an assessment and accrediation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated for the purpose of assesing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions and approved by the University.

3.2 A relaxation of 5% marks from 55% to 50%, or an equivalent relaxation may be allowed for those belonging to SC/ST and OBC (Non creamy layer), Differently-abled and other categories of candidates as per the decision of the state government/University from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including the grace marks. Provided further that student appearing/appeared for final year final semester of their post-graduate degree examination will also be eligible to appear for the admission process subject to the fulfillment of minimum eligibility criterion in the final result thereof.

3.3 A candidate shall ordinarily be permitted to persue research for Ph.D. degree in the subject in which he/she holds Master's degree. For post graduate degree in allied/ interdisciplinary subjects, eligibility would be ascertained as per para 2.7.

3.4 Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three years (36 months), including course work where as a maximum duration would be six years (72 months).

4. Procedure for Admission

4.1 The procedure for admission to Ph.D. programme in different departments/institutes would be governed overall by the UGC regulation 2016 and 2018/Ph.D. ordinance 2020. There would be four streams of applicants namely (i) All eligible applicants who qualified the RET (ii) Applicants who exempted from the RET (JRF/CSIR/JEST/GPAT/GATE qualified) (iii) Applicants who have been granted research fellowship after qualifying National/ International written test. (iv)Applicants who have been awarded Research fellowship without any state level/National/International written test e.g. inspire fellowship.

All candidates of (iii) & (iv) category can apply to DoR M.J.P.R.U round the year and evaluated bimonthly and admitted after a interview/written test as per clause 4.3.1.5 provided category.

4.2 Based on the recommendation of research supervisor, the vice chancellor may allow JRF or any international/national/state level scholarship holders to pursue the research work by approving research supervisor, however enrollment for Ph.D. shall be done as per provisions under clause 4.1 of the present ordinance.

4.3 The admission to Ph.D. programme to all those who have obtained Post graduate degree shall be permissible based on following procedure:

4.3.1 Category I: Entry thro ugh Research Entrance Test (RET)

4.3.1.1 Candidates with Masters or equivalent degree must appear in a written entrance exam conducted by the University in order to be eligible for interview. All such candidates shall be required to fill online application form prescribed by University. Based on the performance in the written test, which is the qualifying exam, the shortlisted candidates shall appear for an interview. This category of applicant has to appear in RET organized by the University.

4.3.1.2 The syllabus for the entrance test shall be available on the website of the University/Department.

4.3.1.3 The interview committee / RDC reserves the right not to select students for all the vacancies advertised.

4.3.1.4 The interview board / RDC shall ensure that all University rules are followed in the admission process.

4.3.1.5 The applicants who have qualified the RET would be required to appear for an interview conducted by the department/institute concerned, by an interview board approved by the Vice Chancellor with the advice of Director, Directorate of Research.

The constitution of interview board shall be as per details given below:

Those subjects which are being offered both in the University campus as well as affiliated colleges separately.

(i) Director, Directorate of Research.

(ii) Head of the Department of (for the University campus)/BOS convener of the subject.

(iii) Senior most Professor from the department (rotation) if available.

(iv) Two external subject experts nominated by the Vice Chancellor.

(iv) One representative of SC/ST and OBC category (in case the panel does any member from the respective categories) to be nominated by VC. Such SC/ST and OBC representatives shall act as observers only (and shall not award any marks to the applicants in the interview board) and shall submit their reports to the Vice Chancellor.

All those subjects which are common to University campus as well as affiliated collages

(i) Director, Directorate of Research

(ii) Convener, Board of studies (affiliated Colleges)

(iii) Senior most Professor from the department (rotation) if available.

(iii) Two external subject expert nominated by the Vice Chancellor.

(iv) One representative of SC/ST and OBC category (in case the panel does not already have any member from the respective categories) to be nominated by VC. Such SC/ST and OBC representatives shall act as observers only (and shall not award any marks to the applicants in the interview board) and shall submit their reports to the Vice Chancellor.

4.3.1.6 The interview process shall consist of assesing the candidates on the basis of the following three criteria (stages) giving equal weightage to each of these criteria:

(i) The candidate who qualified NET/GATE/GPAT/JEST/CSIR or state/National/International test for research fellowship/M.Phil. working in state/Central agencies funded research project and getting Research fellowship -10 Marks

JRF/Project fellow/Research assistant or equivalent -10 Marks

M.Phil and NET – 7 Marks

M.Phil/NET- 5 Marks

(ii) Candidate who have presented his/her Research papers in conference/seminar and published research papers.

S.C.I. Journals - 10 Marks

UGC care listed Journal- 7 Marks

Seminar/conference- 5 Marks

Concern has to present proof of paper presentation and publishing in research journal including full papers in conference proceeding

(iii) The personal interview: 30 Marks

Following prospects of candidates will be considered.

Research proposal submitted by the candidate to interview board its suitability, novelty, competence of the said research proposal and Power Point Presentation. The suitability of the project to be undertaken at University/College and contribution to new additional knowledge etc.

4.3.2 The syllabus of the RET will be same as prescribed for the NET examination of UGC/CSIR. However for the subjects where NET examination is not conducted e.g. (i) Pharmacy, where syllabus of GPAT shall be effective (ii) for subjects like statistics and other similar subjects the syllabus shall be prescribed by the University. The fee for the application form for Ph.D. admissions prescribed for different categories shall be determined by the University from time to time.

4.3.3 There shall be two papers in Research Entrance Test (RET) each of 2 hrs duration. The first paper shall be based on the objective to evaluate the comprehensive knowledge and research aptitude of the candidate and shall be based on objective and multiple choice questions. The second paper shall be for assessing the subject proficiency of the candidate. Each question paper shall be of 100 marks having 100 multiple choice questions. The RET shall have the minimum qualifying marks as 50% (taken together both papers jointly), provided that for the candidates belonging to scheduled caste/scheduled tribe/other backward class (non creamy layer)/ differently able category, there shall be a relaxation of 5% (45% in place of 50%) in research entrance test.

4.3.4 The applicants appearing for the RET would be required to pass/ appearing/ appeared in final examination of P.G. degree in respective disciplines to be eligible for consideration for admission across all the categories. The students appearing/ appeared for final year final semester of their post-graduate degree examination will be eligible to appear for the admission process subject to the fulfillment of minimum eligibility criterion in the final result of their PG degree. Appropriate number of candidates as decided by the University, in order of merit secured in the Entrance test, would be called for interview as per the subject-wise available number of Ph.D. vacancies subject to fulfilling the criteria of minimum eligibility. This eligibility pertains to the level of being called for the interview only and not the guarantee for admission.

4.4 Category II: Exemption from Research Entrance Test

Following category of Candidates shall be exempted from appearing in Research Entrance Test (RET) however all such candidates have to appear for interview:

4.4.1 Candidates who have cleared a national level examination like JRF/CSIR/JEST/ GPAT/GATE or equivalent national or international scholarship holders /or have cleared equivalent U.P. SLET (U.P. State Lecturer entrance test), may appear for interview without appearing in the Research Entrance Test (RET). Candidates who have been granted research fellowship the admission will be process as per clause 4.1. However all such candidates have to fill online application form prescribed by the University.

4.4.2 Permanent Assistant Professors, Associate Professors and Professors having appointment on substantive posts in the Teaching departments of the M.J.P. Rohilkhand University or in the government aided college affiliated to the University who have completed their probation successfully with an experience of at least two years of uninterrupted service would be considered under this category. Teachers appointed in private colleges which run on self finance basis shall not be exempted from the test.

4.4.3 Serving Army, Navy or Air force Officers of at least Colonel or equivalent rank with not less than 15 years service applying for Ph.D. in defense and strategic studies will also be exempted from Entrance test.

4.5 Part Time Admission

There will be provision of part time admission in Ph.D. Programme. The minimum duration for Ph.D. thesis submission will be four year (48 months) minimum, from date of registration including time expenses at different place (other than approved research centre) with the permission of Ph.D. supervisor. It is essential to stay minimum 180 day at the approved research centre by the university however it may be waived off for eminence scientist/reputed educationalist/honored industrialist/higher officer of defense/ Judges(high court, Supreme court)/senior advocate working at high position in high court/ supreme court having LLM degree/Postgraduate degree with 10 year working experience. IAS/IPS/IRS directly appointed by UPSC having 10 year working experience who may be waived off from residential 180 days period he/she have to present progress of research at directorate of research once in six months.

(i) Part time registered research scholar may submit his/her Ph.D. thesis in maximum five years. However candidate may request for two time extension for a period of six months maximum one year.

(ii) Part time to full time or full time to part time conversions will be only allowed after approval of the RDC. The employment of JRF/SRF before and after registration will be considered and approved by RDC.

(iii) However fee for part time research will be decided by the University.

5. Interview board (clause 4.3.1.5 of this ordinance) will prepare a common list of all candidates. On the basis of performance in interview, the list will be displayed on the Department/ University website at the earliest.

It is essential for all listed candidate to choose his/her Ph.D. supervisor out of approved list of Ph.D. supervisor of the University as per his/her interest in Research area at the time of admission in Ph.D. course work. Directorate of Research may help to candidate in choosing his/her Ph.D. supervisor of his/her research interest.

6. Final Selection

The final selection of candidates in the Ph.D. programme shall be based on the performance of all the candidates (coming through RET or RET exempted category of candidates) in the interview board and the decision of the interview board taken in accordance to clause 4.3.1.5 and 5 would be final. The interview board will award appropriate weightage as per clause 4.4.1 to the candidates from the category.

7 Course Work

7.1 The finally selected candidates shall be required to submit the fees for admission to Course-work including examination fee which at present is Rs 25,000/= for General and OBC candidates and Rs 12,500/= in case of SC/ST candidates (or as per decision taken by University from time to time). All such candidates would be deemed to be provisionally admitted in the Ph.D. Program.

7.2 All admitted candidates shall undertake a course work for a minimum period of one semester as prescribed by the University.

7.3 For supervision of research degree a teacher having prescribed qualification as per clause 9.2, 9.3 and 9.4 may be nominated as supervisor/co-supervisor.

7.4 After due recommendation of interview board, an admission letter for Ph.D. program shall be issued, which will bear the date of depositing admission fee, date of admission/ date of enrollment

7.5 The supervisor would be finalized to the candidates by the RDC of the department/ institute ordinarily as recommended by interview board before the start of the course work. Once admitted, the candidate shall actively interact with the allotted supervisor in the opted field of research while pursuing the course work. The candidate would submit the synopsis with the title of research for Ph.D. work and submit his/ her synopsis immediately after successful completion of course work to the University Director, Directorate of Research through Head of the Department/ Director of the Institute concerned.

7.6 The course work shall be treated as pre-Ph.D. preparation. It will consist of two parts. The first part comprises of two theory papers. The contents of Paper-I shall be based on "R**esearch Methodology"** and may include quantitative methods, Computer applications and other techniques/ methods specific for the broad subject area. The second paper would include research topics specific to the candidate's/ supervisors / department's chosen research area. In general it would be appropriate to decide the same while submitting vacancies to the University/DoR by the departmental/ Institute's board of studies vacancies in accordance with the research areas open in that session.

7.7 The Ph.D. course work shall be of 250 marks divided in two parts Part- A and part-B.

7.8 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. The course work shall be divided into two parts as per details given below:

Part-A: There shall be two theory papers each of 100 marks

Paper-I: Research Methodology (which could cover areas such as quantitative methods, Computer applications, research ethics etc. and other techniques/ methods, specific for the broad subject area.)

Paper-II: Advance level course pertaining to subject area preparing student for Ph.D. degree

Part- B: Review of Literature- 50 marks (the candidate shall be required to carry out exhaustive literature survey and prepare a review covering a literature survey of last 10 years in the area specific to the candidate's/supervisor's chosen research area and the

prepared review has to be submitted to the University with a copy to Head of the Department.

7.9 Each of the theory paper of part-A (paper-I and paper-II) shall be of 100 marks. Out of 100 marks allocated to each of the theory paper, 70 marks shall be awarded based on End Semester final written Examination conducted by the University and rest 30 marks in each paper shall be awarded based on two mid semester tests of 15 marks each conducted during the course work. A student shall be required to score minimum 55% marks in each paper [Part-A (Paper-I&II) &Part-B] separately in order to clear the course work.

7.10 All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized board of studies/academic council.

7.11 All candidates admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the Ph.D. course work successfully prescribed by the Department in the first year (1st Yr). However in case a candidate fails to clear the course work in first attempt, he/she shall be given one additional attempt (last) to clear the course work examination along with the next regular batch to qualify this examination after paying requisite fee as decided by the University.

7.12 Candidates have to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent separately in each paper as well as part of the course work in order to be eligible to continue in the programme leading to the completion of Ph.D. thesis. A Marksheet/ Grade-Card would be provided by the University.

7.13 However, in all such cases where the candidate has failed to pass the Course-work examination in first attempt, he/ she would not be given the benefit of the duration of the course work for the minimum residency period/ studentship period in continuity. In all such cases, the residency period of only one semester (6 months) shall be reckoned for successful completion of the course-work.

7.14 The Head of Department/ Course coordinator nominated by Vice Chancellor would be responsible for preparing the time-table and course content for the course work, teaching and assessment schedule (examination), continuous evaluation, internal assessment and shall conduct the same under the overall supervision of the concerned Dean of Faculty.

7.15 Successfully completion of course work would be binding on all the Ph.D. candidates including teacher candidates.

8. Approval of Synopsis and Registration to Ph.D. Programme

8.1 The candidates who have successfully completed their course work shall be required to submit a synopsis of the proposed research work and would make a presentation before the Research Degree Committee (herein after referred to as RDC) of the Department/ Institute for its approval. The RDC shall be separate for each department /Institute and shall consist of:

(a) Vice Chancellor as Chairman

(b) The Dean of the faculty or Director of the institute

(c) Head of the Department in case of University campus and convener BoS in case of an affiliated college.

(d) Two members to be nominated by Vice Chancellor in consultation with members at (b) and (c) above for one year

(e) Director, Directorate of Research or nominee.

The supervisor of the respective candidates may be allowed to be present during the presentation of their candidates.

The Vice chancellor may also invite a person of repute as member of RDC.

8.2 In case, the RDC finds that the synopsis is not up to the mark, it shall make specific suggestions for improving the synopsis. The candidate, after making the necessary improvements shall re-submit his/ her synopsis for approval. The revised synopsis is to be submitted within a month from the date of the RDC meeting. If in the next meeting, RDC is satisfied on these points, it shall recommend and forward the application to the Directorate of Research for permission to be granted to the candidate for registration in the Ph.D. program.

8.3 All approved synopsis by RDC, University will issue admission letter along with approved Research topic to Ph.D. student of the University. The candidate would be required to submit the fee for Ph.D. work (Semester-wise or Annual, or as decided by the University).

9. Eligibility Criteria of Supervisor and Related Regulations

9.1 The number of research scholars per supervisor shall not ordinarily exceed the number mentioned in section 2.1.

9.2 Any regular Professor of the University with minimum ten research publications in SCI/ UGC care listed Journals and any regular Associate/Assistant Professor of the university/ college with a Ph.D. degree and at least five research publications in SCI/UGC care listed Journals, may be recognized as research supervisor. Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of SCI/UGC care listed Journals, the Vice Chancellor in consultation with Directorate of Research may relax the above condition for recognition of a person as Research supervisor with reasons recorded in writing.

9.3 A new eligible research supervisor has to submit an application in the requisite Performa provided by the university along with all the documents e.g. research papers, research projects etc. and bio data and requisite fee, which could be approved by vice chancellor after recommendation from directorate of research.

9.4 Permanent teachers with a proven track record of research, as evident by publications in peer-reviewed journals, working in an under-graduate Department having ten years of existence and fulfilling all the requirements as per clause 9.2 of this ordinance will be allowed to act as a Ph.D. supervisor. Such teachers having a minimum of two research papers in SCI/UGC care listed Journals may be notified as research supervisors.

9.5 Retired teachers of M.J.P. Rohilkhand University fulfilling the above requirements, may also be permitted to remain as supervisor of their Ph.D. student(s) during the remaining tenure of Ph.D. studentship of the students already registered with them. However, they shall not enroll any new Ph.D. candidate after their superannuation. After retirement of the teacher, if the candidate is unable to submit the thesis within the regular studentship period, the change of supervisor shall be done as per the provisions. Necessary infrastructure facility for research would be admissible to the research student only.

9.6 Research supervisors from Universities of abroad may be appointed as research supervisors with letter of intent (LOI). But in this case one research supervisor from within this university has necessarily be approved by vice chancellor on the recommendation of RDC.

9.7 The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by research scholar himself, may select out of approved Ph.D. supervisor of the University. However DoR may help to candidate to find suitable Ph.D. supervisor on request.

9.8 In case of inter-disciplinary research topics, department or concerned feels that the expertise in the department has to be supplemented from outside, the department may appoint a Research Supervisor from the department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the department/Faculty/College/ Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

9.9 A supervisor shall not be allowed to supervise a candidate who is his/ her relative whether by blood or by marriage. Explanation: In this ordinance "relative" means the relations provided in the explanation to section 20 of the U.P. State Universities Act 1973.

9.10 No change of supervisor shall ordinarily be allowed, but in special cases, however in special cases where a supervisor intimates the Head of the Department/Director of the institute with proper explanation that the supervision of research work of the said student is not possible for him/her, the matter should be considered positively. All such matters would be placed before the RDC, which may recommend a change of supervisor to the Vice-Chancellor through the Dean of Faculty who may allow the change of supervisor.

The reasons might be any of the following:

9.10.1 On account of migration, retirement, long leave or for any other reason, the supervisor may not be available to guide the scholar.

9.10.2 As the supervisor is not willing to, or not in a position to supervise the candidate.

9.10.3 Due to some extra-ordinary situation necessitating such a change.

9.10.4 The mutual transfer of research scholar among the University Ph.D. supervisor whose research area/research topic is exactly same. After the recommendation of DoR, V.C may allow however mutual consent will be necessary.

9.11 Research scholar who is pursuing his/her research work on National/State importance topic or institution related, in the circumstances Research scholar from any University/ Research institute whose MOU has already has been signed, RDC may recommend in consultation to Directorate of Research to transfer after approval of the Vice Chancellor. However all such cases candidate must have successfully completed pre. Ph.D. course work and nominated approved supervisor be essential. The NoC from both University competent authorities will be required for consideration.

10 Residency period

10.1 The duration in which every student has to carry out and complete the course work, full time research work under the supervision of supervisor, external supervisor and co-supervisor shall not be less than 36 months from the date of registration including the period spent for course work.

10.2 Each student will execute and complete the course work in the institute/ University/ laboratory during the specified period of the programme from the date of registration. After the research scholar will complete the research work in the department/center/ laboratory etc of supervisor, external supervisor and co-supervisor. Here it is also to be clarified that attendance of course work and research work shall be transferable in between University and registered institute/ University. In this process the supervisor will issue the final certificate of attendance.

10.3 A research scholar in employment has to furnish No Objection Certificate (NoC)/ Study leave certificate from the employer so that University could consider positively a relaxation of six months in the minimum duration of 36 months based on the quality research and publication in high impact Journal and/or patent filling and subsequent recommendation of RDC.

10.4 If the research scholar as well as his/her research supervisor/ co-supervisor both are from the MJPRU or its affiliated colleges in that case, they have to take written permission to carry out research work along with regular services immediately after the completion of course work. It is also clarify that it is mandatory for a research scholar in employment must be on leave during course work.

10.5 To promote the research work in the strategic areas of national importance, the scientists/ professionals working in the defense and space Institutions/organization of central/state Government , with whom the University has signed Memorandum of Understanding (MOU) shall be allowed to do Ph.D. while working at their respective own institutes subject to the condition that the RDC recommends that the work which is being carried out at the parent institute bears relevance with the research with concerned subject area.

Scientists/professionals working in above institutions if central/state government shall be allowed to be admitted as research scholar at Mahatma Jyotba Phule Rohilkhand University and shall be free to carry out course work and research work as per rules of University.

Under special circumstances such institutions of national importance shall be permitted to conduct the course work whose course work programme is equivalent to the course work programme of MJP Rohilkhand University. The equivalence certificate shall be issued by the Director, Research, based on the recommendation of RDC of concerned department and subsequent approval of Vice Chancellor.

10.6 Attendance requirements: A Candidate who is carrying out course work as a part of Ph.D. programme is expected to remain present 100% during each course. But on the recommendation of Head/Director of institute and the Dean based on the valid and acceptable reasons as per rules of University, the Vice Chancellor may condon the attendance up to the maximum of 25%.

10.7 The attendance register of research scholar for both the course work and research work shall be maintained in the office of Department/Institute under the custody of Head/ Director of institute, where the attendance shall be recorded.

10.8 The residential period means, the total period continuously spent for Ph.D. research work in the Rohilkhand region (e.g. the city where the student is registered). Absence due to residing outside Rohilkhand region in lieu of service or any other reason shall be

treated as incomplete residential period. In all such conditions, it would be necessary to obtain special study leave from the employer along with Head/Director of institute prior to completing the residential period.

10.9 The Directorate of Research will maintain a separate register where the in formulations regarding Ph.D. degree obtained from Department/Institute shall be recorded with full description having name of candidate, title of Ph.D. Degree, name of Supervisor. Supervisors, date of registration, date of submission of Ph.D. thesis and declaration of result etc. All these informations shall be made available on the University website as well.

10.10 Award of degrees to candidates already registered for the Ph.D. programme shall be governed by the those ordinances under which they have been admitted.

11 Thesis Presentation:

11.1 After successfully completing the course work and obtaining marks/grade as per different clauses of this ordinance as the case may be, the research scholar shall be required to initiate Ph.D. thesis in the specified time of duration.

11.2 The research scholar shall be required to give a presentation in the Department prior to the submission of thesis and the same shall be open to all the faculty members as well as research scholars. The inputs/suggestions based upon their suitability may be incorporated in the Ph.D. thesis. The information regarding above presentation and video recording shall necessarily be furnished/uploaded by Head/Principal/Supervisor to the Directorate of Research.

11.3. The evaluation of Ph.D. thesis of a research scholar shall be done by his/her research supervisor and minimum two external examiners who are not in the service of University or its affiliated colleges and shall be nominated by any of the following manners:

(a) Both the Examiners would be from abroad for Ph.D. Thesis evaluation and Viva-Voce

Or

(b) Out of the two examiners at least one is from abroad for Ph.D. thesis evaluation and Viva-Voce

Or

(c) Both the examiners would be outside the state for Ph.D. thesis evaluation and Viva-voce.

Or

(d) One of the examiners may be outside state and one from within state for Ph.D. thesis evaluation and viva-voce.

11.4 To defend the Ph.D. thesis of research scholar open viva-voce shall be conducted only when evaluation reports of external examiners are satisfactory and specifically recommended for the conduct of viva-voce. If report of any one of the external examiner is unsatisfactory and has not been recommended for viva-voce then the University will send the Ph.D. thesis to another external examiner from the approved panel and viva-

voce shall be organized only when the report of this examiner is satisfactory. If the report of this examiner is also unsatisfactory then the Ph.D. thesis shall be rejected and the research scholar has to get enrolled afresh.

11.5 The date of open viva-voce to defend Ph.D. degree shall be the date of award of Ph.D. degree and provisional Ph.D. degree certificate shall be issued by the University based on the recommendation of the committee or subcommittee duly constituted by Vice Chancellor as per clause 12.8.

11.6. The University should ensure that complete evaluation process of Ph.D. thesis be completed within 3 months from the date of submission of Ph.D. thesis.

11.7 The counting of research duration of a student shall be done from the date of the first fee receipt of course work subject to the condition that he/she has completed course work successfully in first attempt otherwise only one semester (6 months) shall be counted as residential period, if the candidate has passed the course work in next attempt.

11.8 The continuation of registration of a student in Ph.D. programme shall depend upon his/her satisfactory progress report and good conduct. The University reserves the right to cancel the registration of a student based on the recommendation of Head/Dean (Principal in case of affiliated college), if his/her conduct and progress report is unsatisfactory or he/she has concealed the report.

11.9 The research scholar will submit /upload 6 monthly progress report, duly forwarded by Head/Dean (Principal in case of affiliated college) to Directorate of Research. The six monthly progress report shall be referred to Research Directorate by Head/Dean (Principal in case of College), who's one copy shall be provided to Research scholar as well.

11.10 A student registered for Ph.D. degree, shall be required to complete his research work in the approved department/University/Institute, approved supervisor as well as the approved topic in minimum 3 years and maximum six years in continuation which includes one semester (six months) spent for course work. It would be termed as residential period. Candidate shall not be given relaxation from continuous residential period.

11.11 Female candidate as well as differentially-abled persons (more than 40% disability) may be given a relaxation of two years in the maximum duration of Ph.D. programme. Apart from this a female candidate may be sanctioned up to 240 days maternity/child care leave during whole duration of Ph.D. programme.

11.12 The Vice Chancellor may allow any candidate to remain outside for maximum of one year with an objective to collect the research material or to perform lab work based on the recommendation of Supervisor, Head/Director of institute and Dean. But this relaxation shall not be allowed in first six months after the approval of synopsis.

11.13 Approval for minor revision in the title of thesis may be awarded by RDC based on the recommendations of Head/Director of institute, but this relaxation shall be awarded only within 12 months or earlier period after the submission of Synopsis. The candidate shall be treated as fresh in case of Major revision/change in the topic and shall not be allowed for submission of thesis earlier to 36 months.

11.14 If a candidate is not able to submit his/her thesis within 6 years from the date of registration including the duration of course work, he/she will not be able to regular student of University and shall not be entitled to avail the rights as well as benefits of a regular student. Further under special circumstances and based on the unanimous recommendations of supervisor, Head and concerned Dean, such candidate may be allowed by Vice Chancellor to submit this/her thesis in maximum of 8 years including the duration of six months as regular student.

11.15 A candidate desirous of submitting thesis after the completion of six years would be required to deposit extra fee as prescribed by University.

11.16. The registration of the candidate not able to submit his/her thesis within 8 years shall be deemed cancelled automatically. However if a student is willing to continue to his/her research work, he has to apply for fresh registration to Vice Chancellor through Supervisor/ Head/Dean. All such candidates have to apply within first six months after the completion of 8 years. The thesis must be submitted within one year after fresh registration. After that no further extension in the duration for thesis submission shall be awarded under any circumstances.

11.17 Prior to submission/uploading of Ph.D. thesis, a research scholar must publish at least 2 research papers in UGC care Journal/SCI Journal (One research paper in SCI Journal compulsorily)where it would be necessary to mention the title, author's name, co-author's name (if any) name of supervisor, Department name of college and name of University, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Such subjects where UGC care listed journal/SCI journals are limited, shall be considered as per clause 9.2.

11.18 A research scholar must present minimum two research papers in national/international seminar/conference on the topic related to the title of Ph.D. thesis and will furnish acceptance letter/reprint and presentation certificate whatever certificate is available as evidential proof.

11.19 A Ph.D. thesis submitted by a research scholar which has innovation and novelty and the same may be utilized in public interest or patent may be obtained and which may be used for startup also; such research scholars may be given conditional relaxation in publication of research papers as per clause 11.17.

11.20 When thesis is ready for submission the research scholar will intimate to Head/Director of institute/Principal of college through Supervisor for completion of research work at least 15 days prior to the expected date of submission.

11.21 For evaluation of thesis as per clause 11.3, a panel of minimum of 6 external examiners by the supervisor and another panel of minimum 6 external examiners by Director, Directorate of Research in consultation with concerned Dean shall be submitted to Research Directors.

But the Vice Chancellor will have the exclusive right that in addition to the above list, he can also appoint an expert to evaluate the research Ph.D. thesis.

11.22 The thesis submitted for Master of Philosophy (M.Phil) shall not be accepted for Doctor of Philosophy (Ph.D.) again. However, few contents of it may be used for Ph.D. thesis.

The thesis must be reflect sufficient contribution in the concerned subject leading to innovation or new explanation to facts or principles and should be certified by research scholar and supervisor separately

11.23 The thesis would incorporate along with it the certificate of Supervisor, which would describe be that:

(a) The thesis includes the work carried out by the candidate himself/herself.

(b) The candidate has worked under the supervision for the required period.

(c) She/he has given required attendance in the department.

11.24 The certificate for publication in the UGC care list journal/SCI Journal/as per clause 11.17) shall be certified by and signed jointly by supervisor and Head/Dean/Principal.

11.25 Plagiarism certificate (maximum 20%, excluding own research paper and bibliography) and the thesis can be certified /reevaluated verified by Directorate of Research.

11.26 Every possible effort must be made to ensure that with reference to University, contain not more than one examiner selected from only one University/institute. The Vice Chancellor will select two examiners from the panel which should be from two different states.

11.27 The thesis must include original work and apart from research publication, it must not be published or submitted/uploaded earlier. Published material may be included as part of thesis citing its source.

11.28 In each thesis the medium of presentation shall either be English or Hindi (written in Devnagri-lipi), except those subjects which are related to any ancient language and where the thesis can be submitted in that language.

12. Evaluation and assessment methods:

12.1 On receipt of the thesis with prescribed fee and certificates (enclosed inside; and obtaining consent from examiners through e-mail/post, the thesis would be sent to examiners normally within two weeks. Under any circumstances the evaluation period shall not be more than 3 months. If proposed examiners does not provide acceptance in that case new examiners shall be appointed by Vice Chancellor normally within two weeks.

12.2 If examiners feel that the thesis is good enough, then they can recommend the thesis to be accepted for the award of Doctor of Philosophy degree.

12.3 If there is a difference of opinion in the reports of examiners then Vice Chancellor may direct for exchange of reports between them, where the examiners may be requested to submit a joint report if possible.

12.4 If after the exchange of report, the difference of opinion in the report examiners still prevails then the fourth examiner will be appointed from the pre approved list whose decision would be final.

Further if two examiners either originally or after the exchange of reports, recommend the revision in Ph.D. thesis then the thesis has to be revised and submitted accordingly. The revised thesis may normally be evaluated by same examiners after taking consent. Further if two examiners either originally or after exchange of reports rejects the thesis, then the thesis would be rejected finally, the candidate may not registered afresh.

12.5 If committee is satisfied that the report of examiners is unanimous and certain, then the candidate has to face the viva-voce, which would be conducted by two examiners out of these two, one shall normally be supervisor and another one from external examiners who have evaluated the thesis.

12.6 The Head/ Convener of board of studies (in case of colleges), shall be the chairman and conduct the process of Viva-Voce, but he/she would not be the part of decision.

12.7 In case of supervisor is not available, then either the Head of Department himself / herself or a senior faculty of department/institute who is approved by board of studies, may act as internal examiner.

12.8 Normally the Viva-Voce of a candidate shall be conducted in the concerned department/ institute of the University which will be open for all who are interested in the subject and where the candidate has to present the main result of thesis and has to defend these. After successful Viva-voce, the committee or subcommittee, whatever the case may be may recommend for the declaration of result and the result shall be declared accordingly.

12.9 It would be responsibility of University to ensure that evaluation work and viva-voce of Ph.D. be completed within three months from the date of submission if the reports of all the examiners are satisfactory.

12.10 One hard copy and one soft copy in form of C.D/DVD has to be submitted in the library of University or at the centre where the candidate has completed his research work, once the thesis is accepted and that would be a available for general public.

12.11 The Directorate of Research, of the University would create an internal Website for research work through which all the works related to research shall be executed.

12.12 In case of dissertation published by the research student, the author will apply to the Directorate of Research for permission for publication and on the recommendation of the Director of Research & the Vice Chancellor will be allowed to publish. But in case of dissertation being published, on the first page of the book/monogram etc. published by the research student "**Approved for Ph.D. by Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly**" must be marked.

13 Depository with UGC

13.1 Following the successful completion of the evaluation process and conferment of the award of Ph.D., the University shall submit a soft copy of the Ph.D. thesis to the University Grants Commission within a period of thirty days for hosting the same on INFLIBNET/ Shodh Ganga Portal accessible to all institutions/ Universities.

13.2 The University would host another soft copy of the Ph.D. thesis on its own website for general viewing.

13.3 The University, along with the degree, should issue a Provisional Certificate certifying to the effect that the degree has been awarded in accordance with the provisions to the University Grants Commission (Minimum Standards Procedure for Award of M.Phil. / Ph.D. Degree) Regulations,2016.

14 General

14.1 Any issue regarding the interpretation of this ordinance shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final and binding on all parties. The Vice-Chancellor may constitute necessary committees pertaining to any specific issue arising out of the present ordinance to resolve the issue.

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय

बरेली

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.)

अध्यादेश-२०२०

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन/अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016
एवं भारत के राजपत्र संख्या 278 दिनांक 05 जुलाई, 2016.
भारत का राजपत्र संख्या 325 दिनांक 27 अगस्त 2018
(प्रथम संशोधन) में अधिसूचना के अनुरूप यथा संशोधित)

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) अध्यादेश–2020

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन/अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2016 एवं भारत के राजपत्र संख्या 278 दिनांक 05 जुलाई, 2016. भारत का राजपत्र संख्या 325 दिनांक 27 अगस्त 2018 (प्रथम संशोधन) में अधिसूचना के अनुरूप यथा संशोधित)

1. परिचय

1.1. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति के 1973 के अधिनियम संख्या 10) एवं उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमित एवं संशोधित) अधिनियम, 1974 (1974 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29) के आधार पर पुनः अधिनियमित एवं संशोधित, के द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उक्त के सन्दर्भ में पूर्व अध्यादेश (डाक्टर आफ फिलासफी (पीएच.डी.) अध्यादेश 2017) के प्रतिस्थापना में एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) नियमन 2016 एवं 2018 के अनुरूप, विश्वविद्यालय पूर्व में स्थापित अध्यादेश को यथासंशोधित करता है।

1.2. उक्त अध्यादेश महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली डाक्टर आफ फिलासफी (पीएच.डी.) उपाधि अध्यादेश–2020 के रूप में जाना जाएगा।

1.3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) नियम–2016 के अनुरूप एवं पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया निर्धारण के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पीएच.डी. में प्रवेश हेतु 2017 के अध्यादेश के पश्चात, निम्न अध्यादेश को संशोधित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में पूर्व से स्थापित समस्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करते हुए, यह अध्यादेश वर्ष 2020 एवं आगे से प्रभावी होगा। ये सत्र 2020–21 से लागू होंगे।

1.4. जो अभ्यर्थी इस अध्यादेश के प्रभावी होने के पहले, पूर्व में स्थापित अध्यादेशों के अंतर्गत प्रवेश ले चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने के नियम उन पूर्ववर्ती अध्यादेशों के द्वारा निर्देशित होंगे जिनके अंतर्गत उन्हें प्रवेश दिया गया था।

1.5. महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, ऐसे समस्त संकायों, में पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार करेगा जिनकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार की गयी है।

1.6. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की अधिसूचना द्वारा प्रतिवर्ष एक बार (जुलाई में) प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो समस्त अर्ह एवं JRF/ CSIR/JEST/ GPAT/GATE/NET उत्तीर्ण दोनों हेतु होगी।

यद्यपि जो अभ्यर्थी JRF/ CSIR/JEST/ GPAT/GATE एवं अन्य समकक्ष राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा के द्वारा शोध अध्येतावृति धारित होंगे उनके द्वारा शैक्षणिक सत्र में कभी भी शोध निदेशालय में आवेदन किया जायेगा, जिस पर शोध निदेशालय द्वारा यथासंभव प्रत्येक

दो माह में विचार किया जायेगा। परन्तु जो अध्येतावृत्ति बिना किसी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा के प्रदान किया गया उनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार करायेगी (दो माह में एक बार, पर्याप्त संख्या में आवेदनकर्ता उपलब्ध होने पर)।

2. पीएच.डी. स्थानों की गणना :

2.1. किसी भी समय पीएच.डी. स्थानों की कुल संख्या (डी.एससी., डी.लिट. एवं एलएल.डी. को सम्मिलित करते हुए) क्रमशः आचार्य के लिए 08, सह-आचार्य के लिए 06 एवं सहायक आचार्य के लिए 04 से अधिक नहीं होगी।

2.2. शोध छात्रों द्वारा शोध प्रबन्ध जमा करने एवं विश्वविद्यालय द्वारा शोध प्रबन्ध जमा प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त पर्यवेक्षक की पीएच.डी. स्थान रिक्त माना जायेगा।

2.3. धारा 2.1 एवं 2.2 में वर्णित मानकों के आधार पर एवं विभाग के समस्त पर्यवेक्षकों के अधीन पूर्व से पंजीकृत शोध छात्रों को सम्मिलित करते हुए नए पीएच.डी. छात्रों के लिए पूर्व निर्धारित एवं प्रबंधनीय संभावित उपलब्ध रिक्तियों कीं गणना प्रत्येक वर्ष की जाएगी एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त सूचना अर्ह शिक्षकों से परामर्श के पश्चात सम्बंधित संकायाध्यक्ष/ निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से एवं इन रिक्तियों हेतु विस्तृत क्षेत्र/विशेषज्ञता को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।

2.4. विषयवार पीएच.डी. स्थानों की कुल संख्या का निर्णय जहाँ तक संभव होगा अग्रिम रूप से किया जायेगा एवं उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जायेगा। विश्वविद्यालय पीएच.डी. उपाधि के लिए उपलब्ध स्थानों का व्यापक रुप से विज्ञापन करेगा एवं नियमित रूप से प्रवेश प्रक्रिया धारा 1.6 में वर्णित मानकों के आधार मानकर सम्पन्न कराएगा। राज्य सरकार के आरक्षण से सम्बन्धित नीतियों ऊर्धव एवं क्षैतिज आरक्षण को समाहित करते हुए उक्त रिक्त स्थानों को अनारक्षित एवं आरक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) वर्ग में वर्गीकृत किया जायेगा तथा वर्गीकरण प्रत्येक पर्यवेक्षक के स्तर पर कुल स्थानों के सापेक्ष होगा।

2.5. बहु-विभाग एवं अन्तः विषयी संस्थानों में पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रवेश, मूल्यांकन एवं उपाधि प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया नियमित विभागों के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के समान होगी।

2.6. बहुविभागीय एवं अन्तःविषयी संस्थानों में अतिरिक्त पीएच.डी. स्थान तब तक अनुम्न्य नहीं होंगे जब तक उक्त संस्थानों में, नियमित शिक्षक नियुक्त न किये गए हों। उक्त संस्थानों से अन्य रूप से सम्बद्ध शिक्षकों के लिए पीएच.डी. छात्रों की संख्या सम्बन्धित शिक्षक के मूल विभाग में अनुमन्य छात्रों की संख्या में समायोजित की जाएगी जो कि क्रमशः आचार्य के लिए 03, सह-आचार्य के लिए 02 एवं सहायक आचार्य के लिए 01 से अधिक नहीं होगी।

2.7. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश उन्हीं विषयों में अनुमन्य होगा जिनमें विश्वविद्यालय परिसर/ अनुदानित/घटक महाविद्यालय (Constituent College) सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/

स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं। सम्बद्ध विषयों/अन्तःविषयी विषयों के सम्बन्ध में उचित निर्णय संबंधित विषयों के साक्षात्कार मंडल/शोध उपाधि समिति द्वारा लिया जायेगा, जो अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा। शोध उपाधि समिति का निर्णय, अर्हता परीक्षा का विषय जिसे अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर संदर्भित विषय में साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त की हैं, पर आधारित होगा। अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश–परीक्षा (प्रवेश प्रक्रिया धारा 1.6 में वर्णित मानकों के आधार पर) में उसी विषय में सम्मिलित होना होगा जिसमें अभ्यर्थी पीएच.डी, पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है एवं पीएच.डी., उपाधि उसी विषय में निर्गत की जाएगी जिस विषय में अभ्यर्थी ने प्रवेश लिया है।

2.8. विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालय जिनका NAAC (National Assessment and Accreditation Council), DSIR (Department of Scientific and Industrial Research), NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) अथवा अन्य राष्ट्रीय/राज्य प्रत्यायन संस्था द्वारा मूल्यांकित किया जा चुका है और उसमें उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त किया है तथा शोध प्रवेष प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शोध प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे जिसमें–

(a) विश्वविद्यालय द्वारा उनके आवेदन पत्रों को शोध–निदेशालय (Directorate of Research) द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

(b) मूल्यांकन में सफल आवेदन पत्रों को शोध निदेशालय द्वारा कुलपति को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें कुलपति संस्थान में शोध अध्ययन हेतु उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य आवश्यकताओं को जाँच एवं उपयोगिता हेतु विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं विषय विषेशज्ञों की एक उच्च स्तरीय भौतिक मूल्यांकन समिति का गठन करेंगे,

(c) भौतिक मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच के पश्चात रिपोर्ट एवं संस्तुति के आधार पर कुलपति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शोध अध्ययन केन्द्र के रूप में नामांकित/अनुमति दी जा सकेगी।

(d) शोध अध्ययन केन्द्र की मान्यता दिये जाते समय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड एवं पाठ्यक्रम की अवधि

3.1. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो एवं जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'B' ग्रेड प्राप्त हुआ हो (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है एवं शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आंकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी संविधिक प्राधिकरण द्वारा

अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है।

3.2. ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non creamy Layer), विकलांग वर्ग से सम्बंधित हैं अथवा समय-समय पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अथवा 19 सितम्बर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वही बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंको की छूट केवल अर्हता अंकों के आधार पर अनुमान्य है जिसमे रियायती अंक (ग्रेस मार्क) शामिल नहीं हैं। आगे यह भी कि वे छात्र जो स्नातकोत्तर उपाधि के अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुकें हैं/दे रहे हैं, ऐसे समस्त छात्र प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे यदि वे अंतिम परिणाम में न्यूनतम अर्हता के मानकों की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं।

3.3. सामान्यतया एक अभ्यर्थी को उसी विषय में पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध करने की अनुमति होगी जिसमें उसने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। सम्बद्ध/अन्तः विषयी स्नातकोत्तर उपाधि धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अर्हता धारा 2.7 के आधार पर निर्धारित होगी।

3.4. पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) को सम्मिलित करते हुए पीएच.डी. उपाधि की न्यूमतम अवधि 03 वर्ष (36 माह) एंवं अधिकतम अवधि 06 वर्ष (72 माह) होगी।

4. प्रवेश हेतु प्रक्रिया

4.1. विभिन्न विभागों/संस्थानों में पीएच.डी. उपाधि में प्रवेश हेतु प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2016 एवं 2018/डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच0डी0) अध्यादेश 2020 के द्वारा निर्धारित होगी। अभ्यर्थियों के चार वर्ग होंगे (i) ऐसे अर्ह अभ्यर्थी जिन्होंने शोध प्रवेश परीक्षा (RET) उत्तीर्ण की हो (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शोध प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त है (JRF/CSIR/JEST/GPAT/GATE/NET उत्तीर्ण) (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा द्वारा प्राप्त अध्ययेतावृत्ति है (iv) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे बिना किसी राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षा द्वारा प्राप्त अध्ययेतावृत्ति है, जैसे INSPIRE Fellowship.

III or IV वर्ग के विद्यार्थी शोध निदेशालय को पूरे वर्ष में कभी भी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर दो माह के उपरान्त III or IV वर्ग के प्राप्त आवेदन पर विचार कर साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के उपरान्त नामांकन दिया जायेगा।

जिनकी निदेशालय द्वारा प्रत्येक दो माह में परीक्षा कराये जाने के पश्चात उक्त सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की साक्षात्कार बिन्दु संख्या 4.3.1.5 के द्वारा सम्पन्न होगा। सभी अभ्यर्थियों का पीएच.डी. उपाधि हेतु अंतिम चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन पर आधारित होगा एवं साक्षात्कार मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

4.2 जे.आर.एफ. अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शोध अध्येयावृत्ति प्राप्त शोधार्थी को निदेशक, शोध निदेशालय की संस्तुति पर कुलपति द्वारा शोध पर्यवेक्षक नियुक्त करते

हुए शोध प्रारम्भ करने की अनुमति दी जा सकती है यद्पि पीएच0डी0 में नामांकन की प्रक्रिया इस अध्यादेश की धारा 4.1 तथा संगत प्रावधानों के अनुसार होगी।

4.3 स्नातकोत्तकर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों का पीएच0डी0 में प्रवेश निम्नलिखित आधार पर अनुमान्य होगा।

4.3.1 वर्ग I : शोध प्रवेश परीक्षा (**RET**) के द्वारा प्रवेश

4.3.1.1 स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह होने के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ऐसे सभी अभ्यर्थियो को विश्वविद्यालय का ऑनलाइन फार्म भरना होगा। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर जो कि योग्यता निर्धारण परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) है, चुने गए अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

4.3.1.2 प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की सूचना विश्वविद्यालय/विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

4.3.1.3 विज्ञापित समस्त रिक्तियों के सापेक्ष छात्र को चयनित न करने का अधिकार साक्षात्कार मंडल/शोध उपाधि समिति के अधीन सुरक्षित रहेगा।

4.3.1.4 साक्षात्कार मंडल/शोध उपाधि समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रवेश प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के समस्त नियमों का पालन हो।

4.3.1.5 प्रवेश परीक्षा में योग्य पाये गए अभ्यर्थियों को विभाग/संस्थान द्वारा संचालित एवं निदेशक, शोध निदेशालय, के परामर्श से कुलपति द्वारा अनुमोदित साक्षात्कार मंडल के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा।

साक्षात्कार मंडल का गठन निम्नवत होगा :

ऐसे विषय जो विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों में पृथक-पृथक रूप से संचालित हो रहे हैं।

a. निदेशक-शोध निदेशालय अथवा उसका अनुमोदित प्रतिनिधि।
b. विश्वविद्यालय में संचालित विषयों हेतु विभागाध्यक्ष/महाविद्यालयों में संचालित विषयों हेतु संयोजक विषय पाठ्यक्रम समिति।
c. विभाग के एक आचार्य वरीष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में (यदि उपलब्ध है) महाविद्यालयों में संचालित विषयों हेतु विषय में वरिष्ठतम सहआचार्य (चक्रानुक्रम में)
d. कुलपति द्वारा अनुमोदित दो बाह्य विषेशज्ञ।
e. कुलपति द्वारा अनुमोदित एक-एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से (उक्त स्थिति में जब साक्षात्कार मंडल में क्रमशः इन वर्गों से पूर्व से कोई

सदस्य न हो)। उक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मिलित प्रतिनिधि का दायित्व एक पर्यवेक्षक के रूप में होगा (एवं उक्त प्रतिनिधि साक्षात्कार मंडल में अभ्यर्थी को कोई अंक प्रदान नहीं करेंगे) तथा वे अपनी-अपनी आख्या कुलपति को सौपेंगे।

ऐसे विषय जो विश्वविद्यालय कैम्पस व् संबद्ध महाविद्यालयों में समान रूप से संचालित हो रहे हैं।

a. निदेशक, शोध निदेशालय अथवा उसका अनुमोदित प्रतिनिधि ।
b. विषय पाठ्य समिति के संयोजक।
c. विश्वविद्यालय में संचालित विभाग के एक आचार्य वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में (यदि उपलब्ध है)
d. महाविद्यालयों से विषय में वरिष्ठतम सहआचार्य (चक्रानुक्रम में)
e. कुलपति द्वारा अनुमोदित दो बाह्य विषेशज्ञ।
f. कुलपति द्वारा अनुमोदित एक-एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से (उक्त स्थिति में जब साक्षात्कार मंडल में क्रमशः इन वर्गों से पूर्व से कोई सदस्य न हो)। उक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मिलित प्रतिनिधि का दायित्व एक पर्यवेक्षक के रूप में होगा (एवं उक्त प्रतिनिधि साक्षात्कार मंडल में अभ्यर्थी को कोई अंक प्रदान नहीं करेंगे) तथा वे अपनी-अपनी आख्या कुलपति को सौंपेंगे।

4.3.1.6 साक्षात्कार की प्रक्रिया अभ्यर्थी की तीन आधारों (चरणों) में कुल पचास अंको की होगी जिसका मूल्यांकन निम्न तीन आधारों को अधिमान देते हुये की जाएगी।

a. ऐसे अभ्यर्थी जो JRF/CSIR/GATE/GPAT/JEST/NET या अन्य किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की है या एम.फिल डिग्री धारक हैं एवं किसी बाह्य वित्त पोषित अध्येतावृति परियोजना में कार्य कर रहे हैं - दस अंक

   जे.आर.एफ./प्रोजेक्ट फेलो/शोध सहायक अथवा समकक्ष - दस अंक

   एम.फिल और नेट - सात अंक

   एम.फिल/नेट - पाँच अंक

b. अभ्यर्थी जो सेमिनार कान्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुति और प्रकाशित किये हो - दस अंक

एस.सी.आई. जर्नल में प्रकाशित – दस अंक

यू.जी.सी. केयर लिस्ट में प्रकाशित – सात अंक

सेमीनार/कान्फ्रेस – पाँच अंक

अभ्यर्थी उक्त आशय का प्रमाण पत्र के साथ शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

c. व्यक्तिगत साक्षात्कार जो निम्नलिखित तरीके से तीस अंको का होगा

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित शोध प्रारुप, शोध क्षमता, शोध प्रारुप की उपयोगिता, शोध प्रारुप की नवीनता एवं पॉवर प्वाइन्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावित शोध प्रस्ताव की उपयुक्तता विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध कालेजों में प्रस्तावित शोध प्रस्ताव पर कार्य शुरु करने की उपयुक्तता एवं अतिरिक्त ज्ञान का सृजन के मूल्यांकन इत्यादि।

4.3.2 शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) का पाठ्यक्रम वही होगा जो यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. की नेट परीक्षा हेतु घोषित है। यद्यपि उन विषयों में जिसमें नेट की परीक्षा संचालित नहीं होती है उदाहरण के रूप में (i) फार्मेसी, जिसमें GPAT का पाठ्यक्रम प्रभावी होगा (ii) सांख्यिकी एवं अन्य समान विषयों में पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जायेगा। पीएच.डी. में प्रवेश के लिये विभिन्न वर्गों के प्रार्थना पत्र का शुल्क समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा।

4.3.3 शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) में दो घण्टे की अवधि के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अभ्यर्थी के समग्र ज्ञान एवं शोध योग्यता (शोध क्रिया विधि) का आंकलन करने के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र अभ्यर्थी की विषय विशेषज्ञता का आंकलन करने हेतु होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र का पूर्णांक 100 अंक होगा एवं प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ बहुउत्तरीय पश्न होंगे। शोध प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता (दोनो प्रश्न पत्रों के संयुक्त रूप से) अंक 50% होगी बशर्ते कि शोध प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (non creamy layer) पृथक रूप से निषक्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये अंकों में 5% की छूट (50% के स्थान पर 45%) प्रदान की जायेगी।

4.3.4 सभी वर्गों में प्रवेश पर विचार किये जाने हेतु, शोध प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के लिये यह आवश्यक होगा कि उन्होंने सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि के अन्तिम वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो/भाग ले चुके हों, ऐसे छात्र जो स्नातकोत्तर उपाधि के अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं/दे रहे हैं, ऐसे समस्त छात्र प्रवेश की प्रकिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे यदि वे उक्त परीक्षा के अन्तिम परिणाम में न्यूनतम अर्हता के मानकों की पूर्ति करते हों। विषयवार पीएच.डी. की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष शोध प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय

द्वारा निर्धारित उपर्युक्त संख्या के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। उक्त अर्हता केवल साक्षात्कार में भाग लेने हेतु स्तर के निर्धारण से है न कि प्रवेश की गारंटी।

4.4 वर्ग **II :** शोध प्रवेश परीक्षा **(RET)** से छूट

4.4.1 ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे कि JRF/CSIR/JEST/GPAT/GATE/NET अन्य समकक्ष राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शोध अध्येतावृति प्राप्त की हो या समकक्ष यू.पी., स्लेट (उ.प्र. राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो, बिना शोध प्रवेश परीक्षा (RET) में भाग लिये सीधे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय शोध अध्येतावृत्ति प्राप्त विद्यार्थी का नामांकन बिन्दु संख्या 4.1 के अधीन किया जाएगा।

हांलाकि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय का ऑनलाईन फार्म भरना होगा।

4.4.2 महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्त ऐसे स्थायी शिक्षक जिन्होंने अपना परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो एवं स्थायी रूप से दो वर्षों की निर्बाध्य सेवा का अनुभव रखतें हो उन पर भी इसी श्रेणी में विचार किया जायेगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं संचालित निजी कालेज/महाविद्यालय के शिक्षकों को शोध प्रवेश परीक्षा से छूट अनुमन्य नहीं है।

4.4.3 प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, कर्नल अथवा समकक्ष स्तर के थल, जल एवं वायुसेना में सेवारत ऐसे अभ्यर्थी, जिनका सेवाकाल 15 वर्षों से कम नहीं हों एवं उन्होंने प्रशासन, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन (डिफेन्स स्टडीज) में पीएच.डी. हेतु आवेदन किया हो, इनको भी शोध प्रवेश परीक्षा से छूट अनुमन्य होगी।

4.5 अंशकालिक नामांकन

पीएच.डी डिग्री के लिए अंशकालिक नामांकन का प्रावधान होगा। एक अंशकालिक पीएच.डी उम्मीदवारों को न्यूनतम चार साल के अशकालिक अध्ययन में रखा जायेगा और इसमें पर्यवेक्षक की अनुमति के साथ किसी अन्य स्थान पर अनुसंधान के लिए खर्च किया गया समय शामिल है। अंशकालिक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय शोध केन्द्र में सम्पूर्ण शोध अवधि में कम से कम 180 दिनों का प्रत्यक्ष सम्पर्क निवास में होना चाहिए। हालांकि, वरिष्ठ वैज्ञानिक, विख्यात शिक्षाविद्/उद्योग जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सैन्य सेवाओं के उच्च पदस्थ अधिकारी तथा उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी (एलएलएम/स्नात्कोत्तर डिग्री के साथ और न्यायिक अधिकारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव) और आईएएस/आईपीएस/आईआरएस और सम्बद्ध सेवा अधिकारी (एलएलएम डिग्री के साथ और आईएएस/आईपीएस/आईआरएस और यू0पीएस0सी0 के

माध्यम से भर्ती किये गये सम्बद्ध सेवा अधिकारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव) को 180 दिनों के प्रत्यक्ष सम्पर्क निवास की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते उन्हें छः माह में एक बार शोध केन्द्र में शोध प्रगति का प्रजेन्टेशन देना होगा।

a. पॉच साल की अधिकतम अवधि होगी जिसमें अशंकालिक उम्मीदवार शोध कार्य को पूरा करेगा और मूल्यांकन के लिए शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। समय अवधि विस्तार के लिए लिखित रूप में उम्मीदवार के अनुरोधों के मामलें में छः महीने के दो एक्सटेंशन, एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

b. अंशकालिक से पूर्णकालिक या पूर्णकालिक से अशकालिक रूपान्तरण केवल आर.डी.सी. के अनुमोदन के साथ ही अनुमति दी जायेगी जे0आर0एफ0 और एस0आर0एफ0 सहित उम्मीदवारों के पूर्व और बाद के रोजगार के सभी मामलों पर विचार किया जायेगा और आर.डी.सी. द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

c. उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा।

5. साक्षात्कार मंडल, (इस अध्यादेश बिन्दु संख्या 4.3.1.5 के अनुसार) साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर दोनों वर्गों के संकलित अभ्यर्थियों की एक अस्थायी योग्यता सूची निर्मित करेगा। अभ्यर्थियों की उक्त अस्थायी योग्यता सूची ऊपर वर्णित प्रदर्शन पर आधारित होगी। अन्तिम चयन सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एवं विभाग/संस्थान के सूचना-पट पर यथाशीघ्र प्रदर्शित कर दी जायेगी।

उक्त सूची के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा की वे विश्वविद्यालय की वेब साइट पर विषयवार पर्यवेक्षकों की सूची के आधार पर अपनी शोध रूचि के अनुसार पर्यवेक्षक का सहमति पत्र लेकर आएं, जिसके निर्देशन में वह शोध कार्य सम्पन्न करने को इच्छुक है, किसी विशेष परिस्थिति में शोध निदेशालय शोधार्थी को शोध पर्यवेक्षक चयन करने में सलाह दे सकता है।

6. अन्तिम चयन

पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन पर आधारित होगा (शोध प्रवेश परीक्षा द्वारा आये अभ्यर्थी अथवा शोध प्रवेश परीक्षा से अनुमय छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये) खण्ड 4.3.1.5 एवं 5 के अनुरूप साक्षात्कार मंडल द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। साक्षात्कार मंडल, खण्ड 4.4.1 के अन्तर्गत के अभ्यर्थियों को उचित देय भार प्रदान करेगा।

7. पाठ्यक्रम कार्य (Course Work)

7.1. अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश हेतु परीक्षा शुल्क को सम्मिलित करते हुये शुल्क जमा करना होगा जो कि वर्तमान में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग. के अभ्यर्थियों हेतु रु0 25000/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए रू0 12500/- निर्धारित है (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार)। ऐसे समस्त अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में अस्थायी रूप में प्रवेशित माने जायेंगे।

7.2. समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम एक सेमेस्टर की अवधि का पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करना होगा।

7.3. शोध उपाधि के पर्यवेक्षण हेतु धारा 9.2, 9.3, एवं 9.4 के अंतर्गत निर्धारित योग्यता रखने वाले शिक्षक को वाह्य पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक को भी नामित किया जा सकता है।

7.4. साक्षात्कार मंडल की संस्तुति के उपरांत पीएच.डी. पाठ्यक्रम प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा जिसमें प्रवेश शुल्क जमा किये जाने की तिथि, प्रवेश की तिथि/पंजीकरण की तिथि होगी।

7.5. शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.) द्वारा अभ्यर्थियों के लिये पर्यवेक्षकों का निर्धारण सामान्यतः साक्षात्कार मंडल की संस्तुति के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य के शुरू होने के पूर्व ही किया जायेगा। एक बार प्रवेशित होने के पश्चात पाठ्यक्रम कार्य सम्पादित करने के साथ अभ्यर्थी स्वयं के लिये निर्धारित पर्यवेक्षक के साथ अपने चयनित शोध क्षेत्र में निरन्तर क्रियात्मक रूप से विचार विमर्श करेगा। पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपना शोध रूपरेखा (Synopsis) पीएच.डी. कार्य हेतु शोध के शीर्षक के साथ पर्यवेक्षक/ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक/ प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय को प्रस्तुत करेगा।

7.6. पाठ्यक्रम कार्य की पीएच.डी. से पूर्व की तैयारी के रूप में माना जायेगा। पाठ्यक्रम कार्य के दो खण्ड होंगे। पहले खण्ड में दो लिखित प्रश्न पत्र समाहित होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम शोध क्रियाविधि पर आधारित होगा एवं उक्त में विस्तृत विषय क्षेत्र से सम्बन्धित मात्रात्मक विधियां, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों एवं अन्य तकनीकियों/विधियों को समाहित किया जा सकता है। द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी/पर्यवेक्षक/विभाग द्वारा चयनित शोध क्षेत्र से सम्बन्धित शोध शीर्षक सम्मिलित किये जायेगे। सामान्य तौर पर सम्बन्धित शोध क्षेत्र में रिक्तियों की सूचना निदेशक, शोध निदेशालय को प्रेषित करते-समय ही विभाग/संस्थान की विषय पाठ्य समिति द्वारा उक्त के विषय में निर्णय ले लिया जाना समाचीन होगा।

7.7. पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य 250 अंकों का होगा जो दो खण्डों खण्ड-अ एवं खण्ड-ब में विभक्त होगा।

7.8. पाठ्यक्रम कार्य को पीएच.डी. से पूर्व की तैयारी के रूप में माना जायेगा। पाठ्यक्रम कार्य अधोवर्णित आधार पर दो खण्डों में विभाजित होगा-

खण्ड-अ : इसके अन्तर्गत 100-100 अंकों के दो लिखित प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्नपत्र-1: शोध विधि (जिसमें विस्तृत विषय क्षेत्र से सम्बन्धित मात्रात्मक विधियों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, शोध-नैतिकता एवं अन्य तकनीकियों/विधियों का समावेश होगा)।

प्रश्नपत्र-2: छात्र को पीएच.डी. उपाधि हेतु तैयार करने के उद्देश्य से विषय क्षेत्र से सम्बन्धित अग्रिम स्तरीय पाठ्यक्रम (Advance Level Course)।

खण्ड-बः शोध साहित्य की समीक्षा-50 अंक (उक्त के अन्तर्गत अभ्यर्थी को सम्पूर्ण शोध साहित्य सर्वेक्षण करना होगा एवं अभ्यर्थी को स्वयं के/पर्यवेक्षक के चुने हुये शोध क्षेत्र

में विगत 10 वर्षों के साहित्य-सर्वेक्षण को सम्मिलित करते हुये एक समीक्षा आख्या (Review) तैयार करनी होगी एवं उक्त को शोध निदेशालय को प्रस्तुत करते हुये एक प्रतिलिपि सम्बंधित पाठ्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करनी होगी।

7.9. खण्ड-अ का प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्र-I एवं प्रश्न पत्र-II) 100 अंको का होगा। उक्त 100 अंकों में से 70 अंक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेमेस्टर की अन्तिम लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदान किया जाएगा एवं शेष 30 अंक पाठ्यक्रम कार्य के दौरान 15-15 अंकों के दो मध्य सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर प्रदान किये जायेगे। पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने के लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक खण्ड एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र खण्ड-अ (प्रश्न पत्र-I एवं प्रश्न पत्र-II) एवं खण्ड-ब, में अलग-अलग न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7.10. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में कार्य हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक, आवश्यकता के अनुरूप होंगे एवं पाठ्यवस्तु, अनुदेशात्मक एवं मूल्यांकन विधियों का उल्लेख करेंगे। उक्त सभी अधिकृत विषय पाठ्य समितियों/विद्या परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

7.11. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों के लिये विभाग द्वारा निर्धारित पीएच0डी0 पाठ्यक्रम कार्य को प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक होगा। फिर भी यदि कोई अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य को प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने में सफल नहीं होता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये एक अतिरिक्त मौका (अन्तिम) अगले नियमित पाठ्यक्रम कार्य के शोध विद्यार्थियों के साथ प्रदान किया जायेगा।

7.12. अभ्यर्थी को पीएच.डी. शोध-प्रबन्ध पूर्ण करने हेतु एवं इस कार्यक्रम में निरन्तरता हेतु अर्ह होने के लिये पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य के प्रत्येक खण्ड एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग-अलग 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अंकपत्र/ग्रेड कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

7.13. यद्यपि इन समस्त स्थितियों में जहाँ अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने में सफल नहीं होता है ऐसे अभ्यर्थियों को निरन्तरता में पाठ्यक्रम कार्य अवधि का न्यूनतम निवास अवधि छात्र/छात्रा का लाभ देय नहीं होगा। इन समस्त स्थितियों में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम कार्य को पूर्ण करने के लिये निवास अवधि के संदर्भ में केवल एक सेमेस्टर (छः माह) की अवधि का लाभ देय होगा।

7.14. पाठ्यक्रम कार्य के लिये समय सारणी एवं पाठ्यवस्तु, शिक्षण एवं मूल्यांकन (परीक्षा) की कार्य योजना, सतत् मूल्यांकन, आन्तरिक मूल्यांकन इत्यादि पूर्ण कराने एवं क्रिया की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कुलपति द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त समन्वयक की होगी।

7.15. पाठ्यक्रम कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करना समस्त पीएच.डी. अभ्यर्थियों के लिये बाध्यकारी होगा जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे।

8. शोध की रूपरेखा का अनुमोदन तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण

8.1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है वे अपने

प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा जमा करेंगे और विभागीय/संस्थान की शोध उपाधि समिति (इसके उपरान्त आर.डी.सी. कहा जाएगा) के सम्मुख इसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण देंगे। प्रत्येक विभाग/संस्थान की आर.डी.सी. अलग-अलग होगी जिसकी संरचना इस प्रकार होगी

(अ) कुलपति - अध्यक्ष

(ब) संकायाध्यक्ष अथवा संस्थान के निदेशक।

(स) विभागाध्यक्ष एवं विषय पाठ्य समिति संयोजक (विश्वविद्यालय परिसर हेतु) विषय पाठ्य समिति के संयोजक (सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु)

(द) (ब) तथा (स) के सदस्यों से परामर्श पर कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य एक वर्ष के लिए।

(ध) निदेशक, शोध निदेशालय अथवा अनुमोदित प्रतिनिधि।

सम्बन्धित अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक को प्रस्तुतीकरण के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है।

आर.डी.सी. के सदस्य के रूप में कुलपति किसी सम्मानित व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते है।

8.2. यदि आर.डी.सी. को प्रतीत होता है कि रूपरेखा अपेक्षानुसार नहीं है तो रूपरेखा को सुधारने के लिए स्पष्ट सुझाव देगी। अभ्यर्थी आवश्यक सुधार करने के उपरान्त रूपरेखा को अनुमोदन हेतु पुनः जमा करेगा। संशोधित रुपरेखा को आर.डी.सी. की बैठक की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करना होगा। यदि आर.डी.सी. अगली बैठक में इन बिन्दुओं पर सहमत है तो वह अभ्यर्थी के पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु प्रार्थनापत्र को शोध निदेशालय (Directorate of Research) को अग्रसारित करेगी।

8.3. आर0डी0सी0 द्वारा अनुमोदित समस्त प्रस्तावों को शोध विषय के साथ विश्वविद्यालय पीएच. डी. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करेगा। अभ्यर्थी को पीएच.ड़ी. कार्य हेतु आवश्यक शुल्क जमा करना होगा (सेमेस्टर अथवा वार्षिक या विश्वविद्यालय जैसा निर्धारित करे)।

9. पर्यवेक्षक की पात्रता मानदंड तथा सम्बन्धित विनियमन

9.1. प्रत्येक पर्यवेक्षक शोध छात्रों की संख्या सामान्यतया धारा 2.1. में वर्णित संख्या से अधिक नहीं होगी।

9.2. विश्वविद्यालय का कोई नियमित आचार्य जिसके एस.सी.आई./यू.जी.सी. केयर लिस्टेड जर्नल में न्यूनतम दस प्रकाशित शोधपत्र हों तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कोई भी नियमित सह आचार्य/सहायक आचार्य जो पीएच.डी. उपाधि धारित करते हों तथा जिनके एस.सी.आई./यू.जी.सी. केयर लिस्टेड जर्नल में कम से कम पांच शोध पत्र प्रकाशित हों, को शोध पर्यवेक्षक हेतु अर्ह माना जा सकता है, परन्तु ऐसे विषय जहाँ यू.जी.सी. केयर लिस्टेड जर्नल/एस.सी.आई. जर्नल नहीं हैं अथवा सीमित संख्या में उपलब्ध हैं, के सन्दर्भ में किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक मानने की उपर्युक्त दशाओं में कुलपति द्वारा शोध निदेशालय की सलाह के उपरान्त शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

9.3. नवीन अर्ह शोध पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित सूची में सम्मिलित होने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये शोध पर्यवेक्षक आवेदन को समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा शोधपत्रों, शोध परियोजनाओं, आदि संलग्न करते हुए अपने बायोडाटा सहित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ जमा करेंगे, जिसे शोध निदेशालय द्वारा संस्तुति के पश्चात कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

9.4. शोध अनुभव के साथ स्नातक स्तर के 10 साल पुराने विभाग में कार्यरत पूर्णकालिक नियमित शिक्षक बिन्दु 9.2 में निहित व्यवस्थानुसार शोध पर्यवेक्षक बनने हेतु अर्ह होगे।

9.5. महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं वे अपने पूर्व में पंजीकृत शोध छात्रों के, बाकी बचे शेष समय के लिए पर्यवेक्षक बनें रहेंगे। तथापि अवकाश प्राप्ति के बाद किसी नये पीएच0डी0 अभ्यर्थी का नामांकन नहीं करेंगे। शिक्षक के अवकाश प्राप्ति के बाद, यदि शोध विद्यार्थी नियत समयावधि में अपना शोध-प्रबन्ध जमा नहीं कर पाता है तो पर्यवेक्षक का परिवर्तन सन्दर्भित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। आवश्यक शोध सुविधायें केवल शोध विद्यार्थी को ही अनुमन्य होगी।

9.6. देश के बाहर के विश्वविद्यालयों के शोध पर्यवेक्षक समझौता ज्ञापन (MOU)/आशयपत्र (Letter of Intent (LOI)) द्वारा किसी शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं परन्तु ऐसी दशा परिस्थिति में एवं शोध पर्यवेक्षक इस विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य होगा जो RDC संस्तुति पर कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। शोधार्थी को सयुंक्त/दोहरी/आपसी सहमति उपाधि प्रदान की जा सकती है।

9.7 सफल शोधार्थी पीएच. डी. पर्यवेक्षक का चयन उपलब्ध पर्यवेक्षक सूची से स्वंय करेगा तथा उसका आशयपत्र एवं पीएच. डी. कोर्सवर्क में नामांकन के समय मे प्रस्तुत करेगा। किसी विशेष परिस्थिति में शोध निदेशालय शोधार्थी को शोध पर्यवेक्षक चयन करने में सलाह दे सकता है।

9.8 अन्तः विषयी- अनुसंधान विषयों के मामले में, विभाग या शोधार्थी को लगता है कि विभाग में विशेषज्ञता को बाहर से नियुक्त किया जाना है, विभाग स्वयं के विभाग से एक अनुसंधान पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है, जिसे अनुसंधान पर्यवेक्षक कहा जाएगा तथा सह पर्यवेक्षक के रूप में विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से पर्यवेक्षक ऐसे नियम और शर्तों पर जिन्हें सहमति संस्थानों या कॉलेजों द्वारा निर्दिष्ट और सहमति दी जा सकती है।

9.9 शोधार्थी के द्वारा अपने किसी भी सगे सम्बन्धी को शोध पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा (व्याख्या : इस अधिनियम में सगे सम्बन्धी से तात्पर्य उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की अधिनियम सं0 20 में वर्णित सम्बन्ध से है)।

9.10 साधारणतया पर्यवेक्षक परिवर्तित नहीं होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में, जहाँ शोध पर्यवेक्षक लिखित रूप से विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक को कारण सहित सूचित करता है कि उसके द्वारा शोध विद्यार्थी का शोध कार्य संचालित किया जाना सम्भव नहीं है, वहाँ

शोध पर्यवेक्षक परिवर्तित करने की संभावना होगी, ऐसे समस्त प्रकरण आर.डी.सी. के समक्ष रखे जायेंगे जो पर्यवेक्षक को परिवर्तित करने की संस्तुति संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को करेगी, जो पर्यवेक्षक को परिवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं। पर्यवेक्षक को बदलने का कारण निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है –

9.10.1 स्थानान्तरण, अवकाश प्राप्ति, दीर्घकालीन अवकाश अथवा किसी कारण से पर्यवेक्षक विद्यार्थी के मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध नहीं हो सकता है।

9.10.2 यदि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी को मार्गदर्शन देने का इच्छुक नहीं है अथवा मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं हैं।

9.10.3 किसी असाधारण परिस्थितियों जिनके कारण ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो जाय।

9.10.4 विश्वविद्यालय द्वारा मान्य/मंजूर शोध पर्यवेक्षक के आपसी सहमति जिनका शोधविषय अलग नहीं हो (पूर्णत्या सामान्य हो) निदेशक, शोध निदेशालय के संस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है। आपसी सहमति पत्र आवश्यक होगा।

9.11 यदि किसी शोधार्थी का शोध कार्य किसी राष्ट्रीय/राज्य महत्व के विषय या संस्थाओं से संबन्धित है तो ऐसी दशा में शोधार्थी को किसी अन्य विश्वविद्यालय/शोध संस्थान से जिसका एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के साथ इस आशय का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित है, स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति आर0डी0सी0 की संस्तुति एवं शोध निदेशालय के माध्यम से कुलपति द्वारा की जा सकेगी। परन्तु ऐसे प्रत्येक प्रकरण में शोधार्थी द्वारा पीएच. डी. कोर्सवर्क सफलतापूर्वक उत्तीर्ण एवं शोध पर्यवेक्षक नामित होना आवश्यक होगा। ऐसे सभी स्थानान्तरण उचित एवं मान्य परिस्थितियों तथा उक्त स्थानान्तरण की अनुमति दोनों संस्थानों के सक्ष्म पदाधिकारी के अनापत्ति प्रमाणपत्र के पश्चात विचारणीय होगा।

10 निवास की अवधि

10.1 पंजीकरण की तिथि से प्रत्येक विद्यार्थी पाठ्यक्रम कार्य तथा पूर्णकालिक शोध कार्य पर्यवेक्षक, वाह्य–पर्यवेक्षक अथवा सह–पर्यवेक्षक के निर्देशन में करेगा जिसकी अवधि 36 माह से कम नहीं होगी इसमें वह समयावधि भी शामिल होगी जो पाठ्यक्रम कार्य में लगी है।

10.2 पंजीकरण की तिथि से प्रत्येक विद्यार्थी पाठ्यक्रम की अवधि तक पंजीकरण के संस्थान/ विश्वविद्यालय/प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करेगा। तत्पश्चात् शोध कार्य हेतु शोधार्थी पर्यवेक्षक, वाह्य पर्यवेक्षक अथवा सह–पर्यवेक्षक के विभाग/केन्द्र/प्रयोगशाला आदि में शोध कार्य पूर्ण करेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि शोधार्थी पाठ्यक्रम कार्य तथा शोध कार्य की उपस्थिति पंजीकृत संस्थान/ विश्वविद्यालय तथा शोध कार्य के स्थान वाले विश्वविद्यालय के बीच स्थानांतरणीय (Transferable) होगा। इस व्यवस्था के तहत पर्यवेक्षक अनंतिम रूप से उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

10.3 सेवारत् शोधार्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र/अध्ययन अवकाश का प्रमाण पत्र देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा शोध उपाधि की न्यूनतम अवधि (36 माह) को उत्कृष्ट शोध एवं High Impact Journal में प्रकाशन एवं/अथवा Patent filing के आधार तथा RDC की संस्तुति पर अधिकतम छः माह कम किया जा सकता है।

10.4 यदि शोधार्थी तथा उसके शोध पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक दोनों MJPRU अथवा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय से हैं तो उनको पाठ्यक्रम कार्य के बाद अपने नियमित सेवा के साथ शोध कार्य करने की लिखित अनुमति लेनी होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि पाठ्यक्रम कार्य हेतु सेवारत शोधार्थी को अवकाश अनिवार्य है।

10.5 राष्ट्रीय महत्व के सामरिक क्षेत्रों के शोध कार्यो को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार के सैन्य तथा अन्तरिक्ष संस्थानों/संगठनो, जिनके साथ विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया है, में कार्यरत वैज्ञानिकों/पशोवरों को अपने संस्थान में कार्य करते हुए पीएच.डी. करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते जब आर.डी. सी. यह संस्तुति करे कि जो कार्य मूल संस्थान में किया जा रहा है उसकी सम्बन्धित क्षेत्र के शोध में प्रासंगिकता है।

उपरोक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के संस्थानो में कार्यरत् वैज्ञानिकों/पेशेवरों को MJPRU में शोधार्थी के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी तथा उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार पाठ्यक्रम कार्यक्रम तथा शोध कार्य करने की स्वतंत्रता होगी।

विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे संस्थान को पाठ्यक्रम कार्य (Course work) कराने की अनुमति भी दी जा सकती है जिनका पाठ्यक्रम कार्य प्रोग्राम, MJPRU के उस विषय के पाठ्यक्रम कार्य के समतुल्य हो, समतुल्यता का प्रमाण पत्र संबधित विभाग की RDC की संस्तुति एवं कुलपति के अनुमोदन के पश्चात शोध निदेशक के द्वारा प्रदान किया जायेगा।

10.6 उपस्थिति आवश्यकताएँः एक अभ्यर्थी जो पीएच.डी. कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पाठ्यक्रम कार्य कर रहा है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक कोर्स में 100% उपस्थित रहेगा। किन्तु विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक तथा संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार स्वीकार योग्य कारणों के आधार पर कुलपति अधिकतम 25% तक उपस्थिति से छूट दे सकते हैं।

10.7 पीएच.डी. विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम कार्य एवं शोध कार्य अवधि दोनों की उपस्थिति पंजिका विभाग/संस्थान के कार्यालय में, विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक के अधीन संरक्षित रखते हुए उपस्थिति अंकित करायी जाएगी।

10.8 निवास की अवधि का तात्पर्य रुहेलखण्ड क्षेत्र में (अर्थात वह शहर जहाँ छात्र पंजीकृत है) पीएच.डी. शोध कार्य हेतु लगातार पूरे समय निवास से है। रुहेलखण्ड क्षेत्र से बाहर नौकरी करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति से निवास की अवधि अपूर्ण मानी जायेगी। इन सभी स्थितियों में, अपूर्ण निवास की अवधि को पूर्ण करने से पूर्व विभागाध्यक्ष/ संस्थान के निदेशक के साथ–साथ नियोक्ता से विशेष अध्ययन अवकाश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10.9 विश्वविद्यालय का शोध निदेशालय (Directorate of Research) अलग से एक पंजिका रखेगा जिसमें विभिन्न विभागों/संस्थानों द्वारा प्रदत्त की गयी पीएच.डी. उपाधियों की सूचना होगी इसमें, अभ्यर्थी का नाम, पीएच0डी0 उपाधि का शीर्षक, पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों के

नाम, पंजीकरण की तिथि, शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि और परिणाम घोषित करने की तिथि का उल्लेख होगा। ये सभी सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

10.10 पूर्व में पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुराने अध्यादेश, जिसके अन्तर्गत उनका पंजीकरण हुआ है, के अनुसार उपाधि प्रदान की जायेगी।

11 शोध–प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण

11.1 पाठ्यक्रम कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने तथा इस अध्यादेश की विभिन्न धाराओं में निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने, जो भी स्थिति हो के पश्चात् पीएच.डी. शोधार्थी को शोध कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा निर्धारित अवधि के अन्दर शोध–प्रबन्धन अपलोड/प्रेषित करना होगा।

11.2 शोध–प्रबन्ध जमा करने के पूर्व शोधार्थी विभाग में एक प्रस्तुतीकरण देगा जो सभी अध्यापकों एवं अन्य शोधार्थियों के लिए खुला होगा। उनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि एवं सुझावों को उपयुक्तता के आधार पर शोध–प्रबन्ध में समाविष्ट किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/शोध पर्यवेक्षक द्वारा उपरोक्त प्रस्तुतीकरण की सूचना एवं विडियो विश्वविद्यालय, शोध निदेशक को अनिवार्य रूप से अपलोड/प्रेषित की जायेगी।

11.3 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों जो इस विश्वविद्यालय अथवा इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों की सेवा में नहीं हैं, निम्नलिखित तरीके से नामित किया जा सकता है:

(अ) शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तथा शोध प्रबन्ध की मौखिक परीक्षा हेतु दोनों परीक्षक भारत से बाहर के होंगे,

अथवा

(ब) शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तथा शोध प्रबन्ध की मौखिक परीक्षा हेतु दों में कम से कम एक परीक्षक भारत से बाहर के होंगे,

अथवा

(स) शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तथा शोध प्रबन्ध की मौखिक परीक्षा हेतु दोनों परीक्षक राज्य से बाहर के होंगे,

अथवा

(द) शोध मूल्यांकन तथा शोध प्रबन्ध की मौखिक परीक्षा हेतु दोनों में से एक परीक्षक राज्य के बाहर तथा एक राज्य के भीतर का हो सकता है।

11.4 अपने शोध–प्रबन्ध के बचाव हेतु शोधार्थी की खुली मौखिक परीक्षा तभी करायी जाएगी जब बाह्य परीक्षकों की शोध–प्रबन्ध पर मूल्यांकन आख्या संतोषजनक हो तथा मौखिक परीक्षा कराने हेतु विशिष्ट रूप से संस्तुति की गयी हो। अगर किसी एक बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन आख्या असंतोषजनक हो तथा मौखिक परीक्षा की संस्तुति नहीं की गयी हो तो विश्वविद्यालय परीक्षकों की अनुमोदित सूची से एक दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध–प्रबन्ध

प्रेषित करेगा तथा मौखिक परीक्षा तभी आयोजित होगी जब इस परीक्षक की आख्या संतोषजनक होगी। अगर इस अनंतिम परीक्षक की आख्या भी असंतोषजनक हो तो शोध-प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी की पुनः पंजीकरण कराना होगा।

11.5 शोध-प्रबन्ध के बचाव हेतु सफल खुली मौखिक परीक्षा की तिथि ही पीएच0डी0 डिग्री एर्वाड की तिथि मानी जायेगी तथा पी0एच0डी0 की प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एक सप्ताह के भीतर धारा बिन्दु संख्या 12.8 वर्णित कुलपति द्वारा गठित समिति अथवा उप समिति की संस्तुति पर कुलसचिव द्वारा जारी की जायेगी।

11.6 विश्वविद्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएच.डी. शोध प्रबन्ध सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि के तीन माह के अन्दर पूरी हो जाये।

11.7 विद्यार्थी के शोध अवधि की गणना पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की प्रथम शुल्क रसीद की तिथि से की जाएगी बशर्ते उसने प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। अन्यथा, केवल एक सेमेस्टर (छः माहं) की अवधि की गणना निवास अवधि के रूप में की जाएगी अगर अभ्यर्थी ने इसे अगले प्रयास में उत्तीर्ण किया हो।

11.8 पीएच.डी. कार्यक्रम में विद्यार्थी के पंजीकरण की निरंतरता उसकी संतोषजनक प्रगति आख्या तथा अच्छे व्यवहार पर निर्भर करेगा। पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य) की संस्तुति पर विश्वविद्यालय को विद्यार्थी के पंजीकरण को निरस्त करने का अधिकार है अगर उसका व्यवहार तथा प्रगति आख्या असंतोषजनक है अथवा उसने तथ्यों को छुपाया है, इत्यादि।

11.9 शोधार्थी छःमाही प्रगति आख्या, जो विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य) द्वारा विधिवत अग्रसारित हो, शोध निदेशालय में जमा/अपलोड करेगा।

11.10 पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत विद्यार्थी को अनुमोदित विभाग/विश्वविद्यालय/संस्थान/पर्यवेक्षक के अधीन संस्थान तथा अनुमोदित शीर्षक पर लगातार कम से कम तीन वर्ष तथा अधिकतम छः वर्षो, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य की एक सेमेस्टर (छःमाह) की अवधि सम्मिलित, है, में अपना शोध कार्य पूर्ण करना होगा। इसे शोधार्थी की निवास अवधि कहा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को सतत् निवास अवधि से छूट नहीं दी जाएगी।

11.11 महिला अभ्यर्थियों तथा अक्षमतायुक्त व्यक्तियों (40% से अधिक अक्षमता) को पीएच0डी0 के लिए अधिकतम अवधि में दो वर्षो की छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पीएच0डी0 की पूरी अवधि में महिला अभ्यर्थियों को निवास अवधि में 240 दिन तक का मातृत्व/शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है।

11.12 पर्यवेक्षक तथा विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक/ प्राचार्य (महाविद्यालय की स्थिति में) की संस्तुति पर कुलपति किसी अभ्यर्थी को अपने शोध-प्रबन्ध की सामग्री के संकलन अथवा प्रायोगिक कार्य के उद्देश्य से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने की अनुमति दे सकता है परन्तु यह छूट पीएच.डी. की रूपरेखा के अनुमोदन के पश्चात के पहले छः माह में नहीं दी जाएगी।

11.13 पर्यवेक्षक तथा विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक की संस्तुति पर किसी अभ्यर्थी को अपने शोध के शीर्षक में छोटे संशोधन की अनुमति संकायाध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह छूट शोध-प्रबन्ध जमा करने से छः माह या उसके पहले ही मिलेगी। बड़े संशोधन/शीर्षक के परिवर्तन की स्थिति में अभ्यर्थी को नया माना जाएगा तथा 36 माह से पहले शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.14 अगर कोई अभ्यर्थी पंजीकरण की तिथि से छः वर्षो (पाठ्यक्रम कार्य की अवधि को समाहित करके) के अन्दर अपना शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी नहीं रह जाएगा तथा नियमित विद्यार्थी के अधिकारों तथा मिलने वाली सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। यह कि ऐसे अभ्यर्थी को विशेष परिस्थिति में पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की सामूहिक संस्तुति पर अधिकतम आठ वर्षो की अवधि में शोध-प्रबन्ध जमा करने की अनुमति कुलपति द्वारा दी जाएगी जिसमें विद्यार्थी के रूप में छः वर्षो की अवधि समाहित है।

11.15 छः वर्षो की अवधि की समाप्ति के पश्चात शोध-प्रबन्ध जमा करने वाले अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

11.16 आठ वर्षो की अवधि में शोध-प्रबन्ध जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थी का पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। यद्यपि कि कोई-विधार्थी अपना शोध जारी रखना चाहता है तो उसे पुनः पंजीकरण हेतु पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को आवेदन करना होगा। इस तरह के सभी मामलों में अभ्यर्थी को 08 वर्ष की समाप्ति के पहले वाले 06 महीने में आवेदन करना होगा। पुनः पंजीकरण के एक वर्ष के अन्दर शोध-प्रबन्ध अवश्य जमा होना चाहिए। इसके प्रश्चात शोध-प्रबन्ध जमा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को समयावधि में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11.17 शोध विद्यार्थी मूल्यांकन के लिए शोध प्रबन्ध जमा/अपलोड करने से पहले कम से कम दो यू.जी.सी. केयर जर्नल/एस.सी.आई. जर्नल (एक शोध पत्र अनिवार्य रूप से एस.सी.आई. जर्नल में) में शोध पत्र प्रकाशित करेगा, जिसमें शीर्षक, लेखक का नाम, सह-लेखक का नाम (यदि कोई हो), पर्यवेक्षक का नाम एवं विभाग/महाविद्यालय का नाम तथा विश्वविद्यालय का नाम, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली अंकित करना अनिवार्य होगा। ऐसे विषय जहाँ यू.जी.सी. केयर listed Journal /SCI Journal सीमित है पर बिन्दू संख्या 9.2 के अनुसार विचार किया जायेगा।

11.18 शोध विद्यार्थी शोध प्रबन्ध विषय से संगत शीर्षक से न्यूनतम दो शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी/सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा, इनके प्रमाण स्वरूप स्वीकृति पत्र/पुनर्मुद्रण तथा पत्र प्रस्तुतीकरण प्रमाण पत्र जो भी प्रमाण हो, प्रस्तुत करेगा।

11.19 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध ग्रन्थ जिसमें इनोवेशन और नोवेल्टी हो जिसका लोकहित में प्रयोग या उत्पाद या पेटेन्ट हो सकता हो और उसका स्टार्टअप आरम्भ किया जा सकता हो उस शोधार्थी को शोध पत्र प्रकाशित (बिन्दु संख्या 11.17) किये जाने की शर्त में छूट दी जा सकती है।

11.20 जब शोध प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण के लिए हो, तो प्रस्तुतीकरण को संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व शोधार्थी पर्यवेक्षक के माध्यम से विभागाध्यक्ष/संस्थान के निदेशक/प्राचार्य को शोध की रूपरेखा में निहित शोधकार्य पूर्ण होने की सूचना देगा।

11.21 शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु धारा 11.3 के अनुसार हेतु न्यूनतम छः वाह्य परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित पर्यवेक्षक द्वारा तथा अन्य न्यूनतम छः वाह्य परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की सलाह से निदेशक शोध द्वारा शोध निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा। इस सूची में से तीन विशेषज्ञ जिसमें पर्यवेक्षक भी सम्मिलित होना नियत प्रारूप के अनुसार कुलपति द्वारा शोध प्रबन्ध के मूल्याकन हेतु नियुक्त किये जायेंगे।

परन्तु कुलपति का यह विशेष अधिकार होगा की उक्त सूची के अतिरिक्त स्वयं भी किसी विषेशज्ञ को शोध के मूल्यांकन के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

11.22 मास्टर आफ फिलासफी (एम.फिल.) उपाधि के लिए पहले से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध फिर से डाक्टर आफ फिलासफी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, इसका कुछ अंश पीएच0डी0 शोध-प्रबन्ध, के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। शोध-प्रबन्ध का सम्बन्धित, अध्ययन विषय में पर्याप्त योगदान होना चाहिए जो नये तथ्यों की खोज अथवा तथ्यों या सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या द्वारा प्रदर्शित होनी चाहिए तथा शोध विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक द्वारा अलग-अलग प्रमाणित होना चाहिए।

11.23 शोध प्रबन्ध के साथ पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न होगा, जिसमें उल्लेख होगा किः

(अ) शोध प्रबन्धक में अभ्यर्थी का स्वयं का कार्य निहित है।

(ब) अभ्यर्थी ने उस पर्यवेक्षक के निर्देशन में अपेक्षित अवधि तक कार्य किया है।

(स) निर्धारित अवधि के दौरान उसने विभाग में अपेक्षित उपस्थिति दी है।

11.24 शोध पत्र यू.जी.सी. केयर लिस्ट जर्नल/एस.सी.आई. जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित होने का प्रमाण पत्र (धारा 11.17 कि तारतम्य में) पर्यवेक्षक तथा विभागध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा प्रमाणित एवं संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा।

11.25 परन्तु अकादमिक चोरी न किये जाने का प्रमाण पत्र (Plagiarism Certificate) (अधिकतम 20%, स्वंय के शोध पत्र एवं संदर्भित ग्रंथ सूची को छोड़कर) तथा शोध प्रबन्ध को विश्वविद्यालय शोध निदेशालय द्वारा शोध निदेशक की अनुमति से कभी भी सत्यापित/पुर्नमूल्यांकित/जाँच किया जा सकता है।

11.26 यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक विश्वविद्यालय/संस्था से एक से अधिक परीक्षक का चयन न हो यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। कुलपति सूची से दो परीक्षकों का चयन करेगा जिन्हें दो अलग-अलग राज्यों से होना चाहिए।

11.27 शोध-प्रबन्ध में मौलिक कार्य का समावेश होना चाहिए, शोध प्रकाशन के रूप में प्रकाशित होने के अलावा उसे पहले से प्रकाशित या जमा/अपलोड नहीं होना चाहिए। प्रकाशित सामग्री को शोध-प्रबन्ध के भाग के रुप में उसके स्रोत का उल्लेख करते हुए समाविष्ट किया जा सकता है।

11.28 प्रत्येक शोध-प्रबन्ध में अभिव्यक्ति का माध्यम या तो अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि में लिखी) होगी सिवाय उन विषयों के जो किसी प्राच्य भाषा से सम्बन्धित हैं जहाँ शोध-प्रबन्ध उस भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

12 मूल्यांकन एवं निर्धारण विधियाँ

12.1. निर्धारित शुल्क के साथ प्रमाण पत्रों (अन्दर लगे हुए) सहित शोध-प्रबन्ध की प्राप्ति पर, चुने हुए परीक्षकों से ई-मेल/डाक/दूरभाष द्वारा उनकी सहमति की प्राप्ति के पश्चात उसे सामान्यतः दो सप्ताह के अन्दर परीक्षक को प्रेषित कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में, सभी प्रकिया के लिए मूल्यांकन अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगा। अगर प्रस्तावित परीक्षकों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कुलपति द्वारा सामान्यतः दो सप्ताह के अन्दर नये परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

12.2. अगर परीक्षक मानते हैं कि शोध-प्रबन्ध पर्याप्त रूप से अच्छा है तो वह शोध प्रबन्ध को डाक्टर ऑफ फिलॉसाफी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति हेतु संस्तुत कर सकते हैं।

12.3. अगर परीक्षक की आख्या में मत भिन्नता प्रतीत होती है तो कुलपति उनके बीच आख्या विनिमय का निर्देश दे सकते हैं। जिसमें परीक्षकों से अनुरोध किया जाये कि अगर संभव हो तो एक संयुक्त आख्या प्रस्तुत करें।

12.4. अगर आख्या विनिमय के पश्चात् भी परीक्षकों की आख्या में मतभिन्नता होती है तो पहले से अनुमोदित परीक्षकों की सूची में से एक चौथे परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यदि दो परीक्षक या तो मूल रूप से अथवा आख्या विनिमय के पश्चात् शोध-प्रबन्ध के संशोधन की संस्तुति करते हैं तो शोध-प्रबन्ध को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित शोध-प्रबन्ध को सामान्यतः उन्हीं परीक्षको से, उनकी सहमति लेकर, मूल्यांकित कराया जायेगा। यह कि ऐसी स्थिति में दो परीक्षक या तो मूल रूप से अथवा आख्या विनिमय के पश्चात् शोध-प्रबन्ध को अस्वीकृत करते हैं तो शोध-प्रबन्ध अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी पुनः पंजीकरण करा सकता है।

12.5 अगर समिति संतुष्ट है कि परीक्षकों की आख्या एक मत वाली तथा निश्चित हैं तो अभ्यर्थी को एक मौखिक परीक्षा देनी होगी जो दो परीक्षकों द्वारा सम्पन्न कराई जायेगी जिनमें से एक समान्यतः पर्यवेक्षक तथा दूसरा उन बाह्य परीक्षकों में से होगा जिन्होंने शोध-प्रबन्ध का मूल्यांकन किया है।

12.6 विभागाध्यक्ष/विषय पाठ्य समिति का संयोजक (महाविद्यालय के संदर्भ में)/शोध निदेशक अथवा शोध सह निदेशक अध्यक्ष होगा तथा मौखिक परीक्षा की कार्यवाही का संचालन करेगा परन्तु वह निर्णय का भाग नहीं होगा।

12.7. अगर पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं है तो विभागाध्यक्ष स्वयं अथवा विभाग/संस्था का कोई वरिष्ठ

अध्यापक, जो विषय पाठ्य समिति द्वारा अनुमोदित हों, आन्तरिक परीक्षक के रूप में कार्य कर सकता है।

12.8. अभ्यर्थी की मौखिकी परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय में संबंधित विभाग/शोध निदेशालय में होगी तथा विषय में रूचि रखने वाले सभी के लिए खुली रहेगी जहाँ अभ्यर्थी को अपने शोध-प्रबन्ध के मुख्य परिणामों को प्रस्तुत करना एवं उनका बचाव करना होगा। संतोषजनक मौखिक परीक्षा के पश्चात् समिति अथवा उप-समिति, जो भी स्थिति हो, संस्तुत कर सकती है कि अभ्यर्थी का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाये तथा तदानुसार परिणाम घोषित किया जायेगा।

12.9. यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि पीएच.डी. मूल्यांकन कार्य तथा मौखिक परीक्षा शोध-प्रबन्ध प्रस्तुतिकरण के तीन माह के अन्दर पूरी कर ली जाये अगर सभी परीक्षकों की आख्याएं संतोषप्रद हों।

12.10. प्रत्येक स्वीकृत शोध-प्रबन्ध की एक कागजी प्रति तथा सी0डी0/डी0वी0डी0 पर इलैक्ट्रानिक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अथवा जिस केन्द्र पर अभ्यर्थी ने शोध कार्य किया हो तो वहाँ पर जमा की जायेगी जहाँ यह सामान्यजन के अवलोकनार्थ होगी।

12.11. विश्वविद्यालय का शोध निदेशालय, शोध कार्य हेतु एक आन्तरिक वेबसाईट का निर्माण करेगा जिसके द्वारा शोध सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन होगा।

12.12. शोध छात्र द्वारा शोध प्रबंध प्रकाशित कराए जाने की दशा में प्रकाशन की अनुमति हेतु निदेशक, शोध निदेशालय को आवेदन करेगा और शोध निदेशक की संस्तुति पर कुलपति प्रकाशन हेतु अनुमति दे सकेंगे। परंतु शोध प्रबंध प्रकाशन होने की दशा में शोध छात्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक/मोनोग्राफ आदि के प्रथम पृष्ठ पर 'महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा पीएच. डी. हेतु स्वीकृत' अवश्य अंकित करेगा।